

# राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

## अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त
2. परिभाषाएं

## अध्याय-2 वार्ड सभा

3. वार्ड सभा और उसकी बैठकों
4. गणपूर्ति
5. पीठासीन अधिकारी
6. संकल्प
7. वार्ड सभा के कृत्य
8. सर्तकता समिति (विलोपित)

## अध्याय-3 पंचायती राज संस्थाएं

9. पंचायत की स्थापना
10. पंचायत समिति की स्थापना
11. जिला परिषद की स्थापना
12. पंचायत की संरचना
13. पंचायत समिति की संरचना
14. जिला परिषद की संरचना
15. स्थानों का आरक्षण
16. अध्यक्षों के पदों का आरक्षण
17. पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन
18. निर्वाचक और निर्वाचक नामावलियां
19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं
20. किसी पंचायती राज संस्था की एक साथ या दोहरी सदस्यता पर निर्बन्धन
21. किसी पंचायत राज संस्था में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद और संसद या किसी राज्य विधान-मण्डल आदि की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बन्धन
22. निर्वाचन अपराध
23. निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन

24. शपथ या प्रतिज्ञान
25. कार्यभार का संभलाया जाना
26. सरपंच और उसका निर्वाचन
27. किसी पंचायत की स्थापना पर उप-सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया
28. प्रधान और उप-प्रधान का निर्वाचन
29. प्रमुख और उप-प्रमुख का निर्वाचन
30. सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि
31. सदस्यों की भत्ते आदि
32. सरपंच, और उप-सरपंच की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य
33. प्रधान की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य
34. उप-प्रधान की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य
35. प्रमुख और उप-प्रमुख की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य
36. सरपंच, उप-सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, उप-प्रमुख और पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्यों के त्याग-पत्र
37. अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में अविश्वास का प्रस्ताव
38. हटाया जाना और निलंबन
39. सदस्यता और समाप्ति
40. विलोपित
41. विलोपित
42. रिक्तियों का भरा जाना
43. निर्वाचनों के बारे में विवादों का अवधारण
44. कारबार का संचालन
45. पंचायत की बैठकें
46. पंचायत समिति की बैठकें
47. जिला परिषदों की बैठकें
48. गणपूर्ति की प्रक्रिया
49. किसी पंचायती राज संस्था के किसी कार्य का रिक्ति या अनियमितता द्वारा अविधिमान्य न होना
50. पंचायत के कृत्य और शक्तियाँ
51. पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियाँ

52. जिला परिषद के कृत्य और शक्तियाँ
53. किसी पंचायत को कृत्यों का समनुदेशन
54. पंचायत समिति या जिला परिषद को कृत्यों का समनुदेशन
55. पंचायत समिति या जिला परिषद की साधारण शक्तियाँ और उनका प्रत्यायोजन
56. पंचायत समिति की स्थायी समितियां
57. जिला परिषद की स्थायी समितियां
58. स्थायी समितियों से अभिलेख मांगने की शक्तियां
59. स्थायी समितियों के विनिश्चयों को पुनरीक्षित करने की शक्ति
60. स्थायी समिति की बैठक
61. पंचायतों के आदेशों की अपीलें
62. शास्ति अधिरोपित करने की पंचायत की शक्ति
63. संपत्तियों का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति
64. निधियां
65. कर, जो किसी पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जा सकेंगे
66. सामुदायिक सेवा के लिए विशेष कर
67. पंचायत की फीसों प्रभारित करने की शक्ति
68. पंचायत समिति की कर अधिरोपित करने की शक्ति
69. जिला परिषद की कर और फीसों अधिरोपित करने की शक्ति
70. कर और फीसों का भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होना
71. निर्धारण की अपील
72. उद्धरण की निलंबित करने की शक्ति
73. राज्य सरकार की आय में वृद्धि करने अपेक्षा करने की शक्ति
74. वार्षिक बजट
75. लेखे और संपरीक्षा
76. उधार और निक्षेप निधियाँ
77. उधार मंजूर करने की शक्तियाँ
78. सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति
79. विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी

80. पंचायत समिति का कर्मचारिवृन्द
81. विकास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य
82. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी
83. जिला परिषद का कर्मचारिवृन्द
84. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य
85. विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियाँ
86. सरकारी अधिकारियों की शक्ति
87. पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा पंचायतों के माध्यम से कार्यों और कार्यक्रमों का निष्पादन
88. अभिलेखों की अध्यक्षता करने का अधिकार
89. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा का गठन
90. जिला स्थापन समिति का गठन और कृत्य
91. पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ और उन पर अधिरोपित दण्ड

#### अध्याय-4 राज्य सरकार की शक्तियां

92. किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलंबित करने की शक्ति
93. पंचायती राज संस्था के व्यतिक्रम करने पर कर्तव्यों के पालन की व्यवस्था करने की शक्ति
94. किसी पंचायती राज संस्था को भंग करने की सरकार की शक्ति
95. विघटन के परिणाम
96. अधिशेष निधियों को विनिहत करने की शक्ति
97. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति
98. शक्तियों का प्रत्यायोजन
99. सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति
100. राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण की जाँच
101. किसी पंचायती राज संस्था की सीमाओं में परिवर्तन
102. नियम बनाने की शक्ति
103. जिला परिषद की उपविधियां बनाने की शक्ति
104. पंचायतों की उपविधियां विचरित करने की शक्ति

105. पंचायत समिति और जिला परिषद की उप-विधियां बनाने की शक्ति
106. नियमों और उप-विधियों का अतिलंघन
107. विवाद

#### अध्याय-5 प्रकीर्ण

108. सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे
109. पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विरुद्ध वाद आदि
110. अपराधों के और पंचायतों को सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ और कर्तव्य
111. पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का दायित्व
112. विधिक प्रतिनिधित्व का वर्जन
113. नोटिस की विधिमान्यता
114. पंचायतों द्वारा प्रवेश और निरीक्षण
115. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् स्थानों का अवधारण
116. साधारण निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए यानों इत्यादि की अध्यापेक्षा
117. कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जन
118. वित्त आयोग
119. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द
120. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन
121. जिला आयोजन के लिए समिति
122. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
123. कठिनाइयों का निराकरण
124. निरसन और व्यावृत्तियां

प्रथम अनुसूची

द्वितीय अनुसूची

तृतीय अनुसूची

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994  
(1994 का अधिनियम संख्या 13)

अध्याय ।

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ:- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 है ।  
(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।  
(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
2. परिभाषाएँ:- (1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) "पिछड़े वर्ग" से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों 'और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें;
- (ii) "खण्ड" और "पंचायत सर्किल" से क्रमशः ऐसे स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत होंगे जिन पर कोई पंचायत समिति या, यथास्थिति, कोई पंचायत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी;
- (iii) "अध्यक्ष" से इस अधिनियम के अधीन गठित किसी जिला परिषद् या पंचायत समिति या किसी पंचायत की किसी स्थायी समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (iv) "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" से क्रमशः किसी पंचायत के मामले में, सरपंच और उप-सरपंच, किसी पंचायत समिति के मामले में प्रधान और उप-प्रधान और किसी जिला परिषद् के मामले में प्रमुख और उप-प्रमुख अभिप्रेत होगा;
- (v) "आयुक्त" से खण्ड आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 16) के अधीन किसी आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाये;
- (vi) "कलक्टर" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और अपर कलक्टर उसके अन्तर्गत आता है;
- (vii) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के संबंध में और ऐसी पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में, किसी सक्षम प्राधिकारी के ऐसे कृत्य करने और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें;
- (viii) "निर्वाचन क्षेत्र" के अन्तर्गत कोई वार्ड आता है;
- (ix) "निदेशक, पंचायती राज से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (x) "जिला" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) के अधीन गठित कोई जिला अभिप्रेत है;
- (xi) "वित्त आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;
- (xii) "सरकार" या "राज्य सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(xiii) "सदस्य" से किसी पंचायती राज संस्था का कोई सदस्य अभिप्रेत है और कोई सरपंच उसके अन्तर्गत आता है;

(xiv) "पंचायतों का प्रभारी अधिकारी" से पंचायतों के प्रभारी अधिकारी के रूप में, धारा 99 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी अभिप्रेत है;

(xv) "पंच" से किसी पंचायत का सरपंच से भिन्न कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(xvi) "पंचायत क्षेत्र" या "पंचायत सर्किल" से किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(xvii) "पंचायती राज संस्था" से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन, किसी गांव के या किसी खण्ड या जिले के स्तर पर स्थापित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

(xviii) "जनसंख्या" से, जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त हो, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो उस अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किये जा चुके हैं;

(xix) "विहित" से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विहित अभिप्रेत है;

(xx) "लोक भूमि" या "सामान्य भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है, जो किसी भी व्यक्ति के अनन्य कब्जे और उपयोग में नहीं है किन्तु सामान्यतः किसी स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाती है;

(xxi) "स्थायी समिति" से इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् या किसी पंचायत समिति या किसी पंचायत द्वारा गठित कोई स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(xxii) "राज्य निर्वाचन आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट आयोग अभिप्रेत है; और

(xxiii) "गांव" से राज्यपाल के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी गांव के रूप में, लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई गांव अभिप्रेत है और इस रूप में विनिर्दिष्ट गांवों का कोई समूह उसके अन्तर्गत आता है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये अपितु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वे होंगे, जो उन्हें पश्चात् कथित अधिनियम में समनुदिष्ट किये गये हैं।

अध्याय-2

वार्ड सभा

3. वार्ड सभा और उसकी बैठकें:- (1) पंचायत के, धारा 12 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित, प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा होगी, जिसमें किसी पंचायत सर्किल के वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति होंगे;

(2) वार्ड सभा की प्रतिवर्ष कम से कम दो बैठकें होंगी अर्थात् वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक;

परन्तु वार्ड सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में अध्यक्षता किये जाने पर या यदि पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, वार्ड सभा की बैठक ऐसी अध्यक्षता या अपेक्षा के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर की जायेगी।

(3) वार्ड सभा की सभी बैठकों में ऐसा कोई भी विषय जिसे पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी प्राधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे, रखा जायेगा।

(4) वार्ड सभा इस धारा के अधीन उसके समक्ष रखे गये विषयों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए स्वतन्त्र होगी और पंचायत वार्ड सभा द्वारा दिये गये सुझावों पर, यदि कोई हो विचार करेगी।

(5) संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसका नाम निर्देशित वार्ड सभा की बैठकों में उपस्थित होगा। वह वार्ड पंच के परामर्श से वार्ड सभा की बैठकें बुलाने और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त का सही-सही अभिलेखन किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार अभिलिखित कार्यवृत्तों की एक-एक प्रति इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारियों को विहित रीति से भेजी जाएगी कार्यवृत्त बैठक की समाप्ति पर पढ़कर सुनाया जायेगा और वार्ड सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

4. गणपूर्ति:- वार्ड सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिला सदस्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे।

5. पीठासीन अधिकारी:- वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता पंच या उसकी अनुपस्थिति में वार्ड सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया जाये, की जायेगी।

6. संकल्प:- वार्ड सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना होगा।

7. वार्ड सभा के कृत्य:- वार्डसभा निम्नलिखित कृत्य करेगी :-

(क) विकास योजनाएं बनाने के लिए अपेक्षित ब्यौरों के संग्रह और संकलन में पंचायत की सहायता करना;

(ख) वार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करना और उनकी पूर्विंकता तय करना;

(ग) वार्ड सभा के क्षेत्र से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पूर्विंकता क्रम में पहचान करना;

(घ) विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना;

(ङ) लोक उपयोगिताओं, सुख-सुविधाओं और ऐसी सेवाओं जैसे मार्गों में प्रकाश, पानी के सामुदायिक नल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक सफाई इकाइयां, सिंचाई सुविधाएं आदि के लिए स्थान का सुझाव देना;

(च) लोकहित के विषयों जैसे स्वच्छता, पर्यावरण का परिरक्षण, प्रदूषण का निवारण, सामाजिक बुराइयों से बचाव आदि के बारे में स्कीमें बनाना और जागरूकता लाना;

(छ) लोगों के विभिन्न समूहों में सौहार्द और एकता को बढ़ाना;

(ज) सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता जैसे पेंशन और सहायिकी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करना;

(झ) वार्ड सभा के क्षेत्र में किये जाने के लिए प्रस्तावित संकर्मों के ब्यौरेबार प्राक्कलनों के बारे में सूचना प्राप्त करना, वार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित किये गये सभी संकर्मों की सामाजिक संपरीक्षा करना और ऐसे संकर्मों के लिए उपयोजन और पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(ञ) संबंधित अधिकारियों से उस वार्ड सभा क्षेत्र में ऐसी सेवाओं के बारे में जो वे उपलब्ध करायेंगे और ऐसे कार्यों के बारे में जिन्हें करने का उनका प्रस्ताव है, सूचना प्राप्त करना;

(ट) उस क्षेत्र में माता-पिता और अध्यापक संगमों के क्रियाकलापों में सहायता करना;

(ठ) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और पोषण को प्रोत्साहित करना;

(ड) सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना;

(ढ) ऐस अन्य कार्य जो समय-समय पर विहित किये जायें।

8. सतर्कता समिति (विलोपित)

## ग्राम सभा

8-क. ग्राम सभा और उसकी बैठकें:- (1) प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होंगे ।

(2) प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगी, पहली वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में और दूसरी अन्तिम त्रिमास में; :

परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से कोई अध्यपेक्षा किये जाने पर या यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ग्राम सभा की बैठक ऐसी अध्यपेक्षा या अपेक्षा के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर की जायेगी ।

(3) वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की जाने वाली बैठक में पंचायत, ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित रखेगी:-

(क) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन पर की रिपोर्ट;

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम; और

(घ) पिछली संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर ।

(4) वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रिमास में आयोजित बैठक में पंचायत, ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित रखेगी:-

(क) वर्ष के दौरान उपगत व्यय का विवरण;

(ख) वर्ष में लिये जाने वाले भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम;

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की गयी बैठक में प्रस्तावित क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये किन्हीं भी परिवर्तनों से संबंधित प्रस्ताव; और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार किया गया पंचायत का बजट और पंचायत के कर प्रस्ताव ।

(5) ग्राम सभा की सभी बैठकों में ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे, रखा जायेगा ।

(6) ग्राम सभा इस धारा के अधीन उसके समक्ष रखे गये विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी और पंचायत, ग्राम सभा द्वारा दिये गये सुझावों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(7) संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसका नामनिर्देशित ग्राहक ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। वह ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों का पंचायत के सचिव द्वारा सही-सही अभिलेखन किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार अभिलेखित कार्यवृत्तों की एक-एक प्रति विहित रीति से, इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारियों को भेजी जायेगी । कार्यवृत्त बैठक की समाप्ति पर पढ़कर सुनाया जायेगा और बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा।

8-ख. गणपूर्ति:- ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों और महिला सदस्यों की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी।

8-ग. पीठासीन अधिकारी:- ग्राम सभा की बैठकें पंचायत के सरपंच के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, ऐसी पंचायत के उप-सरपंच के द्वारा बुलाई जायेगी । बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच के द्वारा की जायेगी। सरपंच और उप-सरपंच दोनों ही के अनुपस्थित होने की दशा में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किये गये ग्राम सभा के किसी सदस्य के द्वारा की जायेगी।

8-घ. संकल्प:- ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

8-ड. ग्राम सभा के कृत्य:-ग्राम सभा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये, निम्नलिखित कार्य करेगी :-

(क) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का, वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से पूर्विकता क्रम में, ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाने के पूर्व, अनुमोदन करना;

(ख) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की, उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा पहचाने गये व्यक्तियों में से, पूर्विकता के क्रम में पहचान या चयन;

(ग) संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करना कि पंचायत के खण्ड (क) में निर्दिष्ट उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी निधियों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है जिनका उस वार्ड सभा के क्षेत्र में व्यय किया गया है;

(घ) कमजोर वर्गों को आवंटित भूखण्डों के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा करना;

(ङ) आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और अनुमोदित करना;

- (च) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना;
- (छ) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना;
- (ज) ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना;
- (झ) किसी भी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में पंचायत के सदस्यों और सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना;
- (ञ) वार्ड सभा द्वारा अभिशंसित संकर्मों में से पूर्विकता क्रम में विकास संकर्मों की पहचान और अनुमोदन;
- (ट) लघु जल निकायों की योजना और प्रबन्ध;
- (ठ) गौण वन उपजों का प्रबन्ध;
- (ड) सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण;
- (ढ) जनजाति उप-योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के स्त्रोतों पर नियंत्रण;
- (ण) ऐसे पंचायत सर्किल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड सभा द्वारा की गयी अभिशंसाओं के बारे में विचार और अनुमोदन; और
- (त) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें।

### अध्याय-3

#### पंचायती राज संस्थाएं

9.पंचायत की स्थापना:- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित नहीं किये गये किसी गांव या गांवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी और इस रूप में घोषित किये गये प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक पंचायत होगी।

(2) प्रत्येक पंचायत, राजपत्र में अधिसूचित नाम से, एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा इस अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं भी निर्बन्धनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, उसे क्रय, दान द्वारा या अन्यथा, स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अंतरित करने तथा कोई भी संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से यह वाद चलायेगी और उस वाद चलाया जायेगा।

(3) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत के या पंचायत सर्किल के निवासियों के निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी भी पंचायत का नाम (कार्यालय का नाम) परिवर्तित कर सकेगी ।

10. पंचायत समिति की स्थापना:- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक ही जिले के भीतर के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खण्ड के रूप में घोषित कर सकेगी और इस रूप में घोषित प्रत्येक खण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी जो, इस अधिनियम में यथा-उपबंधित के सिवाय, खण्ड के ऐसे प्रभागों को अपवर्जित करते हुए, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित किये गये हैं, सम्पूर्ण खण्ड पर अधिकारिता रखेगी :

परन्तु कोई पंचायत समिति, पंचायत समिति के अपवर्जित प्रभाग के भीतर समाविष्ट किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी ।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति राजपत्र में अधिसूचित नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा, इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं भी निर्बन्धनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, उसे क्रय, दान द्वारा या अन्यथा, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अन्तरित करने तथा कोई भी संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा ।

(3) राज्य सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत समिति के या पंचायत समिति खण्ड के भीतर के किसी भी क्षेत्र के निवासियों के निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी ऐसी पंचायत समिति का नाम (या कार्यालय का नाम) परिवर्तित कर सकेगी ।

11. जिला परिषद् की स्थापना:- (1) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी जो, इस अधिनियम में यथा-उपबंधित के सिवाय, जिले के ऐसे प्रभागों को अपवर्जित करते हुए, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित किये गये हैं, सम्पूर्ण जिले पर अधिकारिता रखेगी :

परन्तु कोई जिला परिषद् जिले के अपवर्जित प्रभाग के भीतर समाविष्ट किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी ।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् उस जिले के नाम से होगी जिसके लिए वह गठित की गयी है और एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा, इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं भी निर्बन्धनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उसे क्रय, दान द्वारा या अन्यथा, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अंतर्गत करने और कोई भी संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा ।

12. पंचायत की संरचना:- (1) किसी पंचायत में -

(क) एक सरपंच; और

(ख) इतने वार्डों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित पंच, जो उपधारा (2) के अधीन अवधारित किये जायें,

होंगे ।

(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए पांच से अन्यून वार्डों की संख्या अवधारित करेगी, और ऐसा होने पर पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत सर्किल में समान हो।  
(परन्तुक विलोपित)

13. पंचायत समिति की संरचना:- (1) किसी पंचायत समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य, जो उप-धारा (2) के अधीन अवधारित किये जायें; और

(ख) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है ;

(ग) पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर आने वाली समस्त पंचायतों के अध्यक्ष;

परन्तु खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों को प्रधान या उप-प्रधान के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय, पंचायत समिति की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा ।

(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए पन्द्रह से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में समान हो :

परन्तु एक लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, एक लाख से अधिक के प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिए, पन्द्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी ।

14. जिला परिषद् की संरचना:- (1) किसी जिला परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

(क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य, जो उप-धारा (2) के अधीन अवधारित किये जायें;

(ख) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के और राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनमें जिला परिषद् क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है; और

(ग) जिला परिषद् क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत राज्य सभा के सभी सदस्य :

(घ) जिला परिषद क्षेत्र के भीतर आने वाली समस्त पंचायत समितियों के अध्यक्ष;

परन्तु खण्ड (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों को, प्रमुख या उप-प्रमुख के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय, जिला परिषद की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा ।

(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र के लिए सत्रह से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण जिला परिषद क्षेत्र में समान हो :

परन्तु चार लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसंख्या चार लाख से अधिक है, चार लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए, सत्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी ।

15. स्थानों का आरक्षण:- (1) प्रत्येक पंचायती राज संस्था में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान-

(क) अनुसूचित जातियों;

(ख) अनुसूचित जनजातियों; और

(ग) पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए उत्तरवर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आरक्षित किये जायेंगे।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उस पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो उस पंचायती राज संस्था क्षेत्र में को ऐसी जातियों, जनजातियों या, यथास्थिति, जनजातियों की संख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है।

(3) प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थान में स्थानों का (इक्कीस) से अनधिक इतना प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा जितना संबंधित जिले में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उस जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम पड़ता है;

परन्तु जहाँ संबंधित जिले में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या उस जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्थान संबंधित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वाडों या, यथास्थिति, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवण्टित किये जा सकेंगे ।

(5) उप-धारा (2) और (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के (आधे) से अन्यून स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या, यथास्थिति, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(6) प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के (आधे) से अन्यून स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान संबंधित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वार्डों या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आवण्टित किये जायेंगे, जो विहित की जाये।

16. अध्यक्षों के पदों का आरक्षण :- (1) सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पद (क) अनुसूचित जातियों;

(ख) अनुसूचित जनजातियों; और

(ग) पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए उत्तरवर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आरक्षित किये जायेंगे।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षित ऐसे पदों में से प्रत्येक की संख्या का राज्य में ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो उस पंचायती राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों या यथास्थिति, जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है।

(3) किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद में सरपंच या प्रधान के पदों का (इक्कीस) से अनधिक इतना प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा जितना उस पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत ऐसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम पड़ता है ;

परन्तु जहाँ पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद क्षेत्र की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या उस पंचायत समिति या जिला परिषद की कुल जनसंख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ उस पंचायत समिति या जिला परिषद में सरपंच या प्रधान का कम से कम एक पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(4) राज्य में प्रमुख पदों की कुल संख्या का (इक्कीस) प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(5) राज्य में सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के (आधे) से अन्यून महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन आरक्षित पद राज्य की विभिन्न पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आवण्टित किये जायेंगे, जो विहित किये जाये।

स्पष्टीकरण:- धारा 15 के अधीन संगठित स्थानों की या इस धारा के अधीन संगणित पदों की संख्या की भागरूप यदि कोई भिन्न हो तो, उस स्थिति में, जब वह भिन्न एक स्थान या पद के आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों या, यथास्थिति, पदों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा और उस स्थिति में, जब वह एक स्थान या पद के आधे से कम हो, भिन्न को छोड़ दिया जायेगा।

17. पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन:- (1) प्रत्येक पंचायती राज संस्था, यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाये तो, संबंधित संस्थाओं की प्रथम बैठक तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का, और उनके संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(3) किसी पंचायती राज संस्था का गठन करने के लिए निर्वाचन-

(क) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व; और

(ख) विघटन की स्थिति में, उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व-पूरा किया जायेगा :

परन्तु जहां कालावधि का ऐसा शेष भाग, जिसके लिए विघटित पंचायती राज संस्था बनी रहती, छह मास से कम का है वहां ऐसी कालावधि के लिए पंचायती राज संस्था गठित करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) ऐसी कोई पंचायती राज संस्था, जो उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन के फलस्वरूप गठित की गयी हो, कालावधि के केवल ऐसे शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए उप-धारा (1) के अधीन वह तब बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की गयी होती ।

(5) राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी या उससे संसक्त सभी विषयों, जिनमें निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी विषय सम्मिलित हैं और ऐसी संस्थाओं के सम्यक् गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी विषयों के संबंध में समय समय पर, नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी।

18. निर्वाचक और निर्वाचक नामावलियां - (1) ऐसे वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में से, जिनमें किसी पंचायती राज संस्था के क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन विभक्त किया गया है, प्रत्येक के लिए उसकी निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन विहित रीति से तैयार की और रखी जायेगी ।

(2) उप-धारा (3) से (6) के उपबंधों के अधधीन, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति को-

(क) अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है; और

(ख) संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतया निवासी है, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण -

- (i) “अर्हता की तारीख” से इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक निर्वाचक नामावली की तैयार या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है;
- (ii) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह नहीं समझा जायेगा कि वह उस निर्वाचक-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है;
- (iii) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह नहीं समझा जायेगा कि वह वहाँ का मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया है;
- (iv) संसद का या किस राज्य विधान-मण्डल का जो सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचन के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह नहीं समझा जायेगा कि वह अपना पदावधि के दौरान उस वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है;
- (v) कोई व्यक्ति जो मानसिक रोग या लम्बे उपचार वाली किसी भी अन्य रुग्णता से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के लिए पूर्णतः या मुख्यतः अनुरक्षित किसी स्थापन में का रोगी है या जो अन्य किसी स्थान में कारागार या विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है या अध्ययन के लिए छात्रावास में निवास कर रहा है या छात्रावास आदि में निवास कर रहा है उसके बारे में केवल इसी कारण से यह नहीं समझा जायेगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी है; और
- (vi) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहाँ का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब सुसंगत तथ्यों के और ऐसे नियम के अनुसार जैसे इन निमित्त बनाये जायें, प्रति निर्देश से अवधारित किया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति -

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) विकृतचित है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; या

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है तो वह वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जो के लिए निरर्हित होगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा;

परन्तु किसी वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

(5) राज्य में किसी पंचायती राज संस्था के एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा।

(6) किसी वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा।

18-क. मिथ्या घोषणा करना-यदि कोई व्यक्ति-

(क) किसी निर्वाचन नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के अथवा

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचन नामावली में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित किये जाने के संबंध में ऐसा कथन या घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

18-ख. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग- (1) यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतु के बिना होगा, तो वह (ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से) दण्डनीय होगा।

(2) पूर्वोक्त जैसे किसी कार्य या कार्यलोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी।

(3) जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित कलक्टर के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन परिवाद न किया गया हो, कोई भी न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

18-ग. मत देने का अधिकार- (1) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी पंचायत राज संस्था के किसी भी बोर्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह धारा 16 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं भी निरर्हताओं के अधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे सभी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण- पंच या सरपंच या किसी पंचायत समिति के सदस्य या किसी जिला परिषद के सदस्य के लिए निर्वाचन, जब साथ-साथ कराये जायें, पृथक-पृथक निर्वाचन समझे जायेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति, किसी भी निर्वाचन में इस बात के होने पर भी कि उसका नाम एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है, उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उसके सभी मत शून्य समझे जायेंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, यदि वह चाहे किसी दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी जेल में परिरुद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा।

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएँ:- किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) राजस्थान राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं है;

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

((कक) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन और अनुसार फाइल की गयी किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया है;)

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण (किसी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे निगम, निकाय, उपक्रम या सहकारी सोसाइटी, जो राज्य सरकार द्वारा या तो नियंत्रित या पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है) के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है;

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है" और

(छ) किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और छह मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा दण्डादेश तत्पश्चात् उलट दिया गया हो या उसका परिहार कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा कर दिया गया है;

(छछ) ऐसे किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसने उसके विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का, जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये है;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं है;

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे है;

(ञ) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है; (विलोपित)

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला है:

(ड) पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का सभापति/उप-सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्था के शोध्यों को जमा कराने के लिए ऐसी तारीख से जबकि ऐसा नोटिस सभापति/उप-सभापति पर तामील किया गया था, दो साल की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी शोध्य असंदत्त नहीं रखे है और उसका नाम, ऐसी पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो मास पूर्व, राज्य सरकार द्वारा कलक्टर (पंचायत) को उपलब्ध करायी गयी ऐसे व्यक्ति क्रमियों की सूचना में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ढ) राज्य में की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है;

(ण) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, एक महिला है; और

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में उन जातियों या जनजातियों या यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है और महिला है;

(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो;

परन्तु-

(i) किसी व्यक्ति को किसी भी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायती राज संस्था के बीच की गयी किसी भी संविदा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा;

(क) खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति खण्ड (कक) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित समझा जायेगा;

(ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति की तारीख या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;

(iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नामनिर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है:

(iv) खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए:-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मे किसी अतिरिक्त बच्चे पर विचार नहीं किया जायेगा,

(ख) कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मा बच्चा, यदि कोई हो, को छोड़कर), उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

(ग) बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द "दिव्यांगता" में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम

सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।"।

(अ) खण्ड (छ) के प्रयोजनों के लिए, किसी सभापति/उप-सभापति को निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह अपना नामनिर्देशन पत्र फाइल करने के पूर्व उससे शोध्य रकम संदत्त कर देता है।

स्पष्टीकरण-1- धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात् जहां किसी दम्पती के पूर्ववती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्पूर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण -II- इस धारा के खण्ड (थ) के प्रयोजन के लिए :-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत है।

20. किसी पंचायती राज संस्था की एक साथ या दोहरी सदस्यता पर निर्बन्धन:- (1) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ततः प्राधिकृत के सिवाय, दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति एक पंचायती राज संस्था का सदस्य रहते हुए दूसरी पंचायती राज संस्था की सदस्यता के लिए अभ्यर्थी के रूप में लड़ने का आशय रखता हो वह उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी सदस्यता के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकेगा:

परन्तु यदि वह उस स्थान के लिए चुन लिया जाता है जिसके लिए वह अभ्यर्थी के रूप में लड़ा था तो उसके द्वारा पहले से धारित स्थान उस तारीख को रिक्त हो जायेगा, जिसको वह इस प्रकार चुना जाता है, जब तक कि इस प्रकार धारित स्थान दूसरी पंचायती राज संस्था में नहीं हो और उस पंचायती राज संस्था की अवधि उस तारीख से, जिसको वह इस प्रकार निर्वाचित किया जाता है, चार मास की कालावधि के भीतर-भीतर समाप्त नहीं होती हो ।

(3) यदि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों में से पश्चात्पूर्ती तारीख से, जिसको वह इस प्रकार चुना जाता है, चौदह दिन के भीतर- भीतर, उन पंचायती राज संस्थाओं में से उस एक की सूचना, जिसमें वह सेवा करना चाहता है, सक्षम अधिकारी को देगा और तत्पश्चात्, जिस पंचायती राज संस्था में वह सेवा करना चाहता है, उससे भिन्न पंचायती राज संस्था में उसका स्थान रिक्त हो जायेगा ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन दी गयी कोई भी सूचना अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगी ।

(5) पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सूचना के व्यतिक्रम में, सक्षम प्राधिकारी ऐसा स्थान अवधारित करेगा जिसे वह प्रतिधारित करेगा और तत्पश्चात् वे शेष स्थान, जिनसे वह निर्वाचित किया गया था, रिक्त हो जायेंगे।

21. किसी पंचायती राज संस्था में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद और संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल आदि की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बन्धन:- कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल या किसी नगरपालिक बोर्ड या किसी नगर परिषद् या किसी नगर निगम का सदस्य, दोनों नहीं रहेगा और यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य या किसी नगरपालिक बोर्ड या किसी नगर परिषद् या नगर निगम का सदस्य पहले से है, तो ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर वह ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद् या राज्य विधान-मण्डल या नगरपालिक बोर्ड या नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में, के अपने स्थान से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पहले से है, संसद् या राज्य विधान-मण्डल या किसी नगरपालिक बोर्ड या किसी नगर परिषद् या किसी नगर निगम का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, तो संसद् या राज्य विधान-मण्डल या किसी नगरपालिक बोर्ड या किसी नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम का सदस्य निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर वह ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद् या राज्य विधान-मण्डल या नगरपालिक बोर्ड या नगरपरिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में के अपने स्थान से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है।

22. निर्वाचन अपराध:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा (125), 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, (132-क) 133, 134, 134 क, 134-ख, 135, 135 क, 135ख, 135-ग और 136 के उपबन्ध ऐसे प्रभावी होंगे मानो-

(क) किसी निर्वाचन के प्रति उनमें के निर्देश इस अधिनियम के अधीन किसी निकाय के प्रति निर्देश हों;

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उनमें के निर्देशों में, किसी पंचायती राज संस्था, किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश सम्मिलित हों, और

(ग) उसकी धारा 134 और 136 में, शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के द्वारा या अधीन" प्रतिस्थापित किये हुए हों।

(घ) धारा 135-ख की उप-धारा (1) में, अभिव्यक्ति "लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंचायती राज संस्था" प्रतिस्थापित की हुई हो।

22-क. यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बन्धन- (1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि कोई भी अभ्यर्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप-धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति आयोग के आदेश से किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए जो ऐसे आदेश को तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का दायी होगा;

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी पश्चात्कर्ती आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिए गये परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

23. निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन:- ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो चाहे पंचायती राज संस्था के सदस्य निर्वाचित किये गये हों या ऐसी संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विहित रीति से प्रकाशित किये जायेंगे।

24. शपथ या प्रतिज्ञान:- किसी पंचायती राज संस्था का प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

25. कार्यभार का संभलाया जाना:- (1) जब कभी किसी पंचायती राज संस्था के किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया हो या जब ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष-

(i) अपना पद धारण करने के लिए अर्हित नहीं पाया जाये या धारा 19 के अधीन निरर्हित हो जाये, या

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा नहीं रहे, या

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विहित शपथ लेने या प्रतिज्ञान करना विफल रहे, या

(iv) धारा 38 के अधीन पद से हटा दिया जाये या निलंबित कर दिया जाये, या

(v) धारा 36 के अधीन अपने पद से त्यागपत्र दे दे, या

जब कभी किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 31 के अधीन कोई अविष्वास प्रस्ताव पारित हो जाये; या

जब कभी किसी पंचायती राज संस्था की पदावधि समाप्त हो जाये या किसी पंचायती राज संस्था के उसके अध्यक्ष के सहित या रहित सभी सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये, या ऐसा निर्वाचन या उसकी पश्चात्कर्ती कार्यवाहियां किसी सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी गयी हों; या

जब कभी कोई पंचायती राज संस्था इस अधिनियम के अधीन विघटित कर दी जाये, तो ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभी या उनमें से कोई भी उसके या उनके वास्तविक कब्जे या अभियोग में से ऐसे पद से संबंधित सभी कागजपत्रों तथा सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए अपने-अपने पद का कार्यभार विहित रीति से निम्नलिखित को तत्काल संभला देगा:-

(क) किसी सदस्य के मामले में, सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को;

(ख) अध्यक्ष के मामले में, ऐसी पंचायती राज संस्था के उपाध्यक्ष को या जहां कोई ऐसा उपाध्यक्ष नहीं हो वहां, ऐसी पंचायती राज संस्था के ऐसे सदस्य या अन्य व्यक्ति को, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाये;

परन्तु किसी ऐसे अध्यक्ष, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों या महिलाओं के लिए आरक्षित किसी पद पर निर्वाचित किया गया हो, का पदभार सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उक्त जातियों, जनजातियां, वर्गों के किसी सदस्य या यथास्थिति, किसी महिला

सदस्य को, यदि कोई हो, सौंपा जायेगा और जहां उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों का ऐसा सदस्य या महिला सदस्य नहीं है जिसे यथापूर्वोक्त भार सौंपा जा सके तो वहां भार, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, किसी भी अन्य सदस्य, जो पूर्वोक्त श्रेणियों से संबंधित नहीं है, को सौंपा जा सकेगा।

(ग) किसी उपाध्यक्ष के मामले में, संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को या, जहां कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं हो वहां, ऐसी पंचायती राज संस्था के ऐसे सदस्य या अन्य व्यक्ति को, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाये;

(घ) किसी ऐसी पंचायती राज संस्था के मामले में, जिसकी पदावधि समाप्त हो गयी है, ऐसी नयी पंचायती राज संस्था को, जो गठित की गयी हो; और

(ङ) इस अधिनियम के अधीन विघटित की गयी किसी पंचायती राज संस्था के मामले में, धारा 95 के अधीन नियुक्त प्रशासक को ।

(2) किसी नये सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन या नियुक्ति हो जाने पर या किसी नयी पंचायती राज संस्था का गठन हो जाने पर, और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित पद की शपथ या प्रतिज्ञान सम्यक् रूप से हो जाने के पश्चात् ऐसी तारीख को, जिसको ऐसी शपथ ली गयी है या प्रतिज्ञान किया गया है. ऐसे सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पंचायती राज संस्था का, कार्यभार धारण करने वाला व्यक्ति अपने वास्तविक कब्जे या अधिभोग में के सभी कागजपत्रों और सम्पतियों को सम्मिलित करते हुए पद का कार्यभार इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को या, यथास्थिति, इस प्रकार गठित पंचायती राज संस्था को उप-धारा (1) के अनुसरण में तुरन्त संभला देगा।

(3) यदि कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) की अपेक्षा के अनुसार पद का कार्यभार संभलाने में विफल रहता है या संभलाने से इन्कार करता है तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश से, इस प्रकार विफल रहने या इन्कार करने वाले व्यक्ति को उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन उसके लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसा कार्यभार तुरन्त संभलाने के लिए निर्देश दे सकेगा ।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको उप-धारा (3) के अधीन कोई निर्देश जारी किया गया है, निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे, दोषसिद्धि पर एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई भी अधिकारी ऐसी किसी भी कार्रवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उप-धारा (4) के अधीन की गयी है या की जा सकेगी, उतने बल का उपयोग कर सकेगा जितना वह उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक समझे और उस प्रयोजन के लिए विहित रीति से पुलिस या ऐसा करने के लिए सक्षम निकटतम मजिस्ट्रेट की सहायता का अवलंब ले सकेगा ।

26. सरपंच और उसका निर्वाचन:- (1) प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए और वह सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा ।

(2) यदि किसी पंचायत सर्किल के निर्वाचक इस धारा के अनुसार सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं या यदि पंच, उप-सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्ति पर, ऐसी रिक्ति के, छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक, किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित सरपंच या, यथास्थिति, उप-सरपंच समझा जायेगा ।

27. किसी पंचायत की स्थापना पर उप-सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया:- (1) प्रत्येक पंचायत में एक उप-सरपंच होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर, या तत्पश्चात् उसके पुनर्गठन या स्थापना पर पंचायत की एक बैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त बुलाई जायेगी जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी बैठक में उप-सरपंच निर्वाचित किया जायेगा ।

28. प्रधान और उप-प्रधान का निर्वाचन:- (1) पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, यथाशक्य शीघ्र, अपने में से दो सदस्यों का चुनाव क्रमशः उसका प्रधान और उप-प्रधान होने के लिए करेंगे और जब-जब प्रधान या उप-प्रधान के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति हो तब-तब वे अपने में से किसी दूसरे सदस्य का 'चुनाव प्रधान या, यथास्थिति, उप-प्रधान होने के लिए करेंगे :

परन्तु यदि कोई रिक्ति एक मास से कम की कालावधि के लिए है तो कोई भी निर्वाचन नहीं कराया जायेगा।

(2) प्रधान और उप-प्रधान का निर्वाचन और उक्त पदों में की रिक्तियों का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा, जो बनाये जायें।

29. प्रमुख और उप-प्रमुख का निर्वाचन:- (1) जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, यथाशक्य शीघ्र, अपने में से दो सदस्यों को, क्रमशः उसके प्रमुख और उप-प्रमुख चुनेंगे और जब-जब प्रमुख या उप-प्रमुख के पद में आकस्मिक रिक्ति हो तब तब अपने में से किसी अन्य सदस्य को प्रमुख या, यथास्थिति, उप- प्रमुख चुनेंगे :

परन्तु यदि रिक्ति एक मास से कम की कालावधि के लिए है तो कोई भी निर्वाचन नहीं कराया जायेगा ।

(2) किसी जिला परिषद् के प्रमुख या उप-प्रमुख का निर्वाचन और उक्त पदों में से रिक्तियों का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा, जो बनाये जायें।

30. सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि:- इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-

(क) किसी पंचायती राज संस्था के सदस्य और अध्यक्ष, संबंधित पंचायती राज संस्था की अवधि के दौरान पद धारण करेंगे; और

(ख) किसी पंचायती राज संस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक वह संबंधित पंचायती राज संस्था का सदस्य बना रहता है।

31. सदस्यों के भत्ते आदि:- पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, ऐसी संस्था के सदस्य को, साथ ही ऐसी संस्था की किन्हीं समितियों या उप-समितियों के अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए उनके सदस्यों को ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर और ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए, संदत्त किये जायेंगे, जो विहित की जायें :

परन्तु एक दिन के लिए केवल एक भत्ता अनुज्ञेय होगा ।

32. सरपंच और उप-सरपंच की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य:- (1) सरपंच-

(क) ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(ख) पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उन्हें विनियमित करेगा;

(ग) पंचायत के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) पंचायत के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन के लिए साधारणतः उत्तरदायी होगा;

(ड) पंचायत के कर्मचारिवृन्द और ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा पंचायत के नियंत्रण में रखी जायें, के कार्य पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(च) इस अधिनियम से संबंधित कारबार के संव्यवहार के लिए या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी आदेश करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन या ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन पंचायत द्वारा प्रयुक्त, पालित या निर्वहित किये जायें;

(छ) राज्य सरकार को या पंचायतों के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अभिलेख, चाहे वे सर्वाधिक हों या अन्यथा, प्रस्तुत करेगा, जो विहित किये जायें या जिनकी समय-समय पर अपेक्षा की जाये; और

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो पंचायत, संकल्प द्वारा, निर्दिष्ट करे या जो सरकार, इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित करे।

(2) उप-सरपंच-

(क) सरपंच की शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग, उसके कृत्यों में से ऐसे कृत्यों का पालन और उसके कर्तव्यों में से ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो सरपंच, समय-समय पर, सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्वधीन रहते हुए उसे लिखित में प्रत्यायोजित करे ;

(ख) सरपंच की, उसका पद रिक्त रहने के कारण या अन्यथा, अनुपस्थिति में सरपंच की सभी शक्तियों का प्रयोग, उसके सभी कृत्यों का पालन और उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो पंचायत, संकल्प द्वारा, निर्दिष्ट करे या जो सरकार, इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा, विहित करे।

(3) सरपंच और उप-सरपंच दोनों की, उनके पद रिक्त रहने के कारण या अन्यथा, अनुपस्थिति में सरपंच की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य पंचायत के ऐसे निर्वाचित सदस्य द्वारा और ऐसी रीति से प्रयुक्त, पालित और निर्वहित किये जायेंगे, जो सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करे।

परन्तु-

(i) सरपंच खण्ड (घ) से (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन, या

(ii) उप-सरपंच उप-धारा (2) के अनुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन, या

(iii) उप-धारा (3) के अनुसार कार्य करने के लिए सशक्त पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य सरपंच की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन

यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, धारा 55-क के अधीन गठित प्रशासन और स्थापन समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त करनेके पश्चात ही करेगा।

33. प्रधान की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य. प्रधान-

(क) पंचायत समिति की बैठकें बुलायेगा, उनकी अध्यक्षता करेगा और उन्हें संचालित करेगा।

(ख) उसके सभी अभिलेखों तक पूर्ण पहुंच रखेगा;

(ग) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन और प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर उस पर न्यस्त किये जायें;

(घ) पंचायतों में प्रेरणा और उत्साह के विकास को प्रोत्साहित करेगा और उनके द्वारा हाथ में ली गयी योजनाओं और उत्पादन कार्यक्रमों में उनका मार्गदर्शन करेगा और उनमें सहयोग और स्वैच्छिक संगठनों का विकास हो सके एतदर्थ सहायता करेगा;

(ङ) पंचायत समिति के या उसकी स्थायी समितियों के ऐसे संकल्पों या विनिश्चयों के, जो इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों से असंगत नहीं हैं, क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विकास अधिकारी और खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(च) पंचायत समिति के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर संपूर्ण पर्यवेक्षण रखेगा और पंचायत समिति के समक्ष उससे संबंधित सभी ऐसे प्रश्न रखेगा जिनके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि इन पर उसके आदेश अपेक्षित है और इस प्रयोजन के लिए पंचायत समिति के अभिलेखों की अपेक्षा कर सकेगा; और

(छ) पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वालों को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, विकास अधिकारी के परामर्श से, किसी एक वर्ष में पच्चीस हजार रुपये की कुल राशि तक मंजूरी देने की आपात शक्ति रखेगा :

परन्तु प्रधान पंचायत समिति की आगामी बैठक में, उसके अनुसमर्थन के लिए, मंजूरीयों का ब्यौरा रखेगा :

34. उप-प्रधान की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य:- (1) पंचायत समिति का उप-प्रधान-

(क) प्रधान की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो प्रधान, समय समय पर, इस निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्वधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा उसे प्रत्यायोजित करे; और

(ग) प्रधान का निर्वाचन होने तक या तीस दिन से अधिक की कालावधि की छुट्टी के कारण प्रधान की पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थिति के दौरान, प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) प्रधान और उप-प्रधान दोनों की, उनके पद रिक्त रहने के कारण या अन्यथा, अनुपस्थिति में प्रधान की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य पंचायत समिति के ऐसे निर्वाचित सदस्य द्वारा और ऐसी रीति से प्रयुक्त, पालित और निर्वहित किये जायेंगे जो सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करे ।

34-क. धारा 33 और धारा 34 के अधीन की कतिपय शक्तियों का प्रशासन और स्थापन समिति के अनुमोदन से प्रयोग किया जाना- (1) प्रधान धारा 33 के खण्ड (ख) से (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, धारा 56 के अधीन गठित प्रशासन और स्थापन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही करेगा।

(2) उप-प्रधान धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, धारा 56 के अधीन गठित प्रशासन और स्थापन समिति के पूर्वानुमोदन के पश्चात् ही करेगा।

(3) पंचायत समिति का कोई निर्वाचित सदस्य जो धारा 34 की उप-धारा (2) के अधीन प्रधान के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त है, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, धारा 56 के अधीन गठित

प्रशासन और स्थापन समिति के पूर्वानुमोदन के पश्चात् ही प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

35. प्रमुख और उप-प्रमुख की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य:- (1) प्रमुख-

(क) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रमुख पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का पालन और प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) जिला परिषद् की बैठकें बुलायेगा, उनकी अध्यक्षता करेगा और उनका संचालन करेगा;

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी और उसके माध्यम से जिला परिषद् के सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् के नियंत्रण में रखी जायें, पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और उसके अभिलेखों तक पूर्ण पहुंच रखेगा;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो जिला परिषद् संकल्प द्वारा, निदिष्ट करे या जो सरकार, इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा, विहित करे ;

(ङ) जिला परिषद् के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर संपूर्ण पर्यवेक्षण रखेगा और जिला परिषद् के समक्ष उससे सम्बन्धित वे सभी प्रश्न रखेगा जिनके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि उन पर उसके आदेश अपेक्षित हैं और इस प्रयोजन के लिए जिला परिषद् के अभिलेख की अपेक्षा कर सकेगा;

(च) जिले में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वालों को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी के परामर्श से, किसी एक वर्ष में एक लाख रुपये की कुल राशि तक मंजूरी देने की शक्ति रखेगा :

परन्तु प्रमुख, जिला परिषद् की आगामी बैठक में, उसके अनुसमर्थन के लिए, ऐसी मंजूरीयों का ब्यौरा रखेगा;

(छ) पंचायतों में प्रेरणा और उत्साह के विकास को प्रोत्साहित करेगा और उनके द्वारा हाथ में ली गयी योजनाओं और उत्पादन कार्यक्रमों में उनका मार्गदर्शन करेगा और उनमें सहयोग और स्वैच्छिक संगठनों का विकास हो सके एतदर्थ सहायता करेगा;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त की जायें या जो उसे प्रत्यायोजित की जायें;

(झ) पंचायत समितियों के क्रियाकलापों के निर्धारण में उसे समर्थ बनाने और उनके कार्यक्रमों और समस्याओं का अध्ययन करने की दृष्टि से, प्रमुख, समय समय पर-

(i) जिले में के खण्डों का निरीक्षण कर सकेगा, और

(ii) पंचायत समितियों, उनके प्रधानों, उनके विकास अधिकारियों और उनके सदस्यों को दिशानिर्देश और सलाह देने की दृष्टि से जिले में की पंचायत समितियों द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों और अनुरक्षित अभिलेखों का, साथ ही उनकी साधारण कार्य प्रणाली का इस प्रकार से निरीक्षण कर सकेगा कि उनमें आपस में, साथ ही प्रत्येक खण्ड में की पंचायत समितियों और पंचायतों के बीच, अच्छे संबंध विकसित हो सकें और उस निमित्त अधिकथित व्यापक नीतियों के अनुसार उत्पादन कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हो सके। ऐसे निरीक्षण और क्रियाकलापों की रिपोर्ट, जिला प्रमुख द्वारा विशिष्टतः किन्हीं ऐसी त्रुटियों, जिन्हें उसने देखा हो, के प्रति निर्देश से, जिला परिषद् को, की जायेगी; और

(ज) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्य के बारे में एक रिपोर्ट निदेशक, पंचायती राज और ग्रामीण विकास को भेजेगा, जो टिप्पणियों को मुख कार्यपालक अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

(2) उप-प्रमुख-

(क) प्रमुख की अनुपस्थिति में, जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

(ख) प्रमुख की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्रमुख, समय-समय पर, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो कि बनाये जायें, लिखित में आदेश द्वारा प्रत्यायोजित करे; और

(ग) प्रमुख का निर्वाचन होने तक या तीस दिन से अधिक की कालावधि की छुट्टी के कारण प्रमुख की जिले से अनुपस्थिति के दौरान, प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

(3) प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों की, उनके पद रिक्त रहने के कारण या अन्यथा, अनुपस्थिति में, प्रमुख की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य जिला परिषद् के ऐसे निर्वाचित सदस्य द्वारा और ऐसी रीति से प्रयुक्त, पालित और निर्वहित किये जायेंगे जो सक्षम अधिकारी निर्दिष्ट करे।

35-क. धारा 35 के अधीन कतिपय शक्तियाँ का प्रशासन और स्थापन समिति के अनुमोदन से किया जाना- (1) प्रमुख, धारा 35 की उप-धारा (1) खण्ड (क) और खण्ड (ग) से (ज) के

(2) उप-प्रमुख धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, धारा 57 के अधीन गठित प्रशासन और स्थापन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही करेगा।

(3) जिला परिषद् का, धारा 35 की उप-धारा (3) के अधीन प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त किया गया कोई निर्वाचित सदस्य धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) से (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, धारा 57 के अधीन गठित प्रशासन और स्थापन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही करेगा।

(36.) सरपंच, उप-सरपंच पंच, प्रधान उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्यों के त्यागपत्र:- (1) सरपंच, उप-सरपंच या पंच, विकास अधिकारी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे ।

(2) पंचायत समिति के प्रधान के रूप में पद धारण करने वाला कोई सदस्य, जिला परिषद् के प्रमुख को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी भी समय, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और उप-प्रधान या पंचायत समिति का कोई सदस्य, पंचायत समिति के प्रधान को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी भी समय, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(3) प्रमुख, खण्ड आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और उप-प्रमुख या जिला परिषद् का कोई सदस्य प्रमुख को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा ।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के अधीन का प्रत्येक त्यागपत्र पूर्वोक्त प्राधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, यदि वह पन्द्रह दिन की इस कालावधि के भीतर प्रत्याहृत नहीं कर लिया जाता है तो, प्रभावी हो जायेगा ।

(5) प्रत्येक उप-सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख और उप-प्रमुख पद रिक्त कर देगा यदि वह पंचायत या पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् का सदस्य नहीं रहता है।

37. अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में अविश्वास का प्रस्ताव:- (1) किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाला कोई प्रस्ताव अगली उप-धाराओं में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) प्रस्ताव करने के आशय का ऐसा लिखित नोटिस, जो संबंधित पंचायती राज संस्था के प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति के सहित, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक के द्वारा, सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिशः परिदत्त किया जायेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात्-

(i) नोटिस की एक प्रति, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति सहित, सरपंच या उप-सरपंच के मामले में पंचायत को, प्रधान या उप-प्रधान के मामले में पंचायत समिति को और प्रमुख या उप-प्रमुख के मामले में जिला परिषद् को अग्रेषित करेगा;

(ii) प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यालय पर, उसके द्वारा नियत तारीख को, जो उस तारीख से तीस दिन के पश्चात् की होगी, जिसको उप-धारा (1) के अधीन उसे नोटिस परिदत्त किया गया था, बैठक बुलायेगा; और

(iii) सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम सात पूर्ण दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाये।  
स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की गणना करने में वह कालावधि, जिसके दौरान किसी बैठक का बुलाया जाना किसी न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता है, अपवर्जित कर दी जायेगी ।

(4) सक्षम प्राधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा;

परन्तु यदि, वह ऐसा करने में असमर्थ है तो, उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी इस प्रकार अध्यक्षता करेगा ।

(5) उप-धारा (3) के अधीन बुलायी गयी कोई बैठक स्थगित नहीं की जायेगी।

(6) जैसे ही इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक प्रारम्भ होती है, अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिए वह बैठक बुलायी गयी है और उसे विचार-विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा ।

(7) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर कोई भी विचार-विमर्श स्थगित नहीं किया जायेगा।

(8) ऐसा विचार-विमर्श बैठक के प्रारम्भ के लिए नियत समय से दो घण्टे की समयावधि पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा, यदि वह इससे पहले समाप्त नहीं हुआ हो। विचार-विमर्श समाप्त हो जाने पर या दो घण्टे की उक्त कालावधि की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।

(9) अध्यक्षता करने वाला अधिकारी प्रस्ताव के गुणागुण पर नहीं बोलेंगा और वह उस पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।

(10) बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति के सहित और उस पर के मतदान का परिणाम, बैठक की समाप्ति पर, अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा-

(क) किसी पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में, संबंधित पंचायत और ऐसी पंचायत पर अधिकारिता रखने वाली

पंचायत समिति को;

(ख) किसी पंचायत समिति के अध्यक्ष                      संबंधित पंचायत समिति और पंचायत समिति  
उपाध्यक्ष के मामले में,    पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद को;

(ग) किसी जिला परिषद के अध्यक्ष                      संबंधित जिला परिषद और राज्य  
उपाध्यक्ष के मामले में,    सरकार को,

तुरन्त अग्रेषित किया जायेगा ।

(11) यदि प्रस्ताव संबंधित पंचायती राज संस्था के निर्वाचित सदस्यों के (तीन-चौथाई) से अन्यून के समर्थन से पारित हो जाये तो-

(क) अध्यक्षता करने वाला अधिकारी इस तथ्य को, संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका करके और उसे राज-पत्र में अधिसूचित करवा कर प्रकाशित करायेगा; और

(ख) संबंधित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस तारीख को और उससे, जिसको उक्त नोटिस पूर्वोक्त कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया जाता है, इस रूप में पद धारण करना बंद कर देगा और पद रिक्त कर देगा ।

(12) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या यदि गणपूर्ति के अभाव के कारण बैठक नहीं की जा सकी हो तो, उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाले किसी पञ्चात्वर्ती प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं दिया जायेगा

(14) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की एक-तिहाई से होगी।

38. हटाया जाना और निलंबन:- (1) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाये, किसी भी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो-

(क) कार्य करने से इंकार करता है या इस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ख) कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार या किसी भी अपकीर्तिकर आचरण का दोषी है;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी जाँच, संबंधित पंचायती राज संस्था की -अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ की जा सकेगी, या यदि ऐसी समाप्ति के पूर्व ही प्रारम्भ कर दी गयी थी, तो उसके पश्चात् जारी रखी जा सकेगी, और किसी श्ी ऐसे मामले में, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, लगाये गये आरोपों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष राज्य सरकार के विवेक से, संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता, यदि कोई हो, से भी हटाया जा सकेगा।

(3) ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो उप-धारा (1) के अधीन हटाया गया है या जिसके विरुद्ध निष्कर्ष उस उप-धारा के परन्तुक के अधीन अभिलिखित किये गये हैं, उसके हटाये जाने की तारीख या यथास्थिति, उस तारीख, जिसको ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित किये जाते हैं, से पांच वर्ष की कालावधि तक इस अधिनियम के अधीन चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

(4) राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये किसी भी ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकेगी जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन कोई जांच प्रारम्भ कर दी गयी है या जिसके विरुद्ध नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के संबंध में कोई भी दाण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारणाधीन है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निलंबन के अधीन रहते समय संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित हो जायेगा।

परन्तु राज्य सरकार किसी पंच को वार्ड सभा की सिफारिश पर या सरपंच को ग्राम सभा की सिफारिश पर भी निलंबित कर सकेगी, किन्तु राज्य सरकार ऐसा तब ही करेगी जब किसी वार्ड सभा या, यथास्थिति, ग्राम सभा द्वारा पारित इस आशय के किसी संकल्प को राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की इच्छा का अंतिम अभिनिश्चय करने के लिए वार्ड सभा या यथास्थिति, ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित और उसके नाम निर्देशित की अध्यक्षता वाली बैठक में उपस्थित सदस्यों ने, पंच या, यथास्थिति, सरपंच का निलंबन चाहने वाले संकल्प की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पुष्टि कर दी हो;

परन्तु यह और कि पंच या सरपंच का निलंबन चाहने वाला कोई भी संकल्प किसी पंच या यथास्थिति, सरपंच द्वारा दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने से पूर्व प्रस्तावित या पारित नहीं किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्भूत किसी भी मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय, धारा 97 के अधीन किये गये किसी आदेश के अधधीन रहते हुए अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के अधीन नहीं होगा।

39. सदस्यता की समाप्ति:- (1) (किसी) पंचायत राज संस्था का कोई सदस्य, ऐसा सदस्य बने रहने का पात्र नहीं होगा यदि वह-

(क) धारा 19 विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अधधीन है या हो जाता है, या

(ख) संबंधित पंचायती राज संस्था की तीन क्रमवर्ती बैठकों से, ऐसी पंचायत राज संस्था को लिखित में सूचना दिये बिना, अनुपस्थित रहा है, या

(ग) सदस्यता से हटा दिया जाता है, या

(घ) सदस्यता से त्याग-पत्र दे देता है, या

(ङ) मर जाता है, या

(च) निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर सदस्यता के पद की विहित शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में विफल रहता है।

(2) जब कभी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत कराया जाये कि कोई सदस्य, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कारणों से सदस्य बने रहने के लिए अपात्र हो गया है तो, सक्षम प्राधिकारी, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे इस प्रकार अपात्र हो गया घोषित कर सकेगा और तत्पश्चात् वह ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त कर देगा-

(परन्तुक विलोपित)

परन्तु जब तक इस उप-धारा के अधीन कोई घोषणा नहीं कर दी जाती है तब तक वह अपने पद को धारित करता रहेगा ।

40. (विलोपित)

41. (विलोपित)

42. रिक्तियों का भरा जाना - किसी पंचायती राज संस्था के किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के मृत्यु, हटाये जाने, त्याग-पत्र के कारण या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन रिक्त हो जाने की घटना की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को तुरन्त की जायेगी। रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा जो विहित की जाये। इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंध, ऐसे निर्वाचन को लागू होंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य, या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके दौरान, यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद छोड़ने वाला सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करने का हकदार होगा;

परन्तु रिक्ति को भरना आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसी रिक्ति की अवधि रिक्ति होने की तारीख से छह मास के भीतर समाप्त होती है।

43. निर्वाचनों के बारे में विवादों का अवधारण - (1) इस अधिनियम या तद्विनिर्दिष्ट बनाये गये नियमों के अधीन के किसी निर्वाचन को, ऐसे निर्वाचन में के किसी अभ्यर्थी द्वारा, विहित रिति से, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को, विहित आधारों पर और विहित कालावधि के भीतर इस निमित्त अर्जी प्रस्तुत करके प्रेषित किया जा सकेगा।

परन्तु पूर्वोक्त रूप से प्रस्तुत कोई निर्वाचन अर्जी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई और निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड ) को अन्तरित की जा सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किसी अर्जी की सुनवाई और निपटारा विहित रिति से किया जायेगा और उस पर न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा।

44. कारबार का संचालन:- कोई पंचायती राज संस्था अपने कारबार के संचालन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विहित की जाये।

45. पंचायत की बैठकें:- (1) कोई पंचायत, कारबार के संव्यवहार के लिए उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो और पन्द्रह दिन में कम से कम एक बार पंचायत के कार्यालय पर और ऐसे समय पर बैठक करेगी जो सरपंच अवधारित करे ।

(2) सरपंच, जब कभी वह उचित समझे, बैठक बुला सकेगा, और सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून के लिखित निवेदन पर ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर भीतर की किसी तारीख को, बुलायेगा।

(3) साधारण बैठक का पूर्ण सात दिन का नोटिस और विशेष बैठक का पूर्ण तीन दिन का नोटिस ऐसी बैठक का स्थान, तारीख और समय और उसमें संव्यवहृत किये जाने वाले कारबार को विनिर्दिष्ट करते हुए सचिव द्वारा, सदस्यों

और ऐसे अधिकारियों को दिया जायेगा जो सरकार विहित करे और पंचायत के सूचना-पट्ट पर चिपकाया जायेगा ।

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें उप-धारा (3) के अधीन नोटिस दिया जाये और पंचायत या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखने वाले अन्य सरकारी अधिकारी पंचायत की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु मत देने के हकदार नहीं होंगे ।

(5) यदि सरपंच उप-धारा (2) में यथा-उपबंधित विशेष बैठक बुलाने में विफल रहे तो, उप-सरपंच या उसकी अनुस्थिति में सक्षम प्राधिकारी उसके पश्चात् के पन्द्रह दिन से अनधिक के किसी दिन ऐसी को बैठक बुला सकेगा और सचिव के सदस्यों को नोटिस देने और ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो बैठक करने के लिए आवश्यक हो ।

46. पंचायत समिति की बैठकें - (1) पंचायत समिति कारबार का संव्यवहार करने के लिए एक मास में कम से कम एक बार बैठक (जिसे इस धारा में इससे आगे सामान्य बैठक कहा गया है) आयोजित करेगी ।

(2) पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक सामान्यतः पंचायत समिति के मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी।

(3) प्रथम बैठक की तारीख (प्रधान और उपप्रधान के निर्वाचन के पश्चात् से प्रधान द्वारा नियत की जायेगी) और प्रत्येक पश्चातवर्ती सामान्य बैठक की तारीख पूर्व की बैठक में नियत की जायेगी, परन्तु प्रधान पर्याप्त कारणों से बैठक का दिन परिवर्तित कर सकेगा या उसे पश्चातवर्ती तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा। प्रथम, जब कभी वह उचित समझे, विशेष बैठक बुला सकेगा और सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून के लिखित निवेदन पर और ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर की किसी तारीख को बुलायेगा। ऐसे निवेदन में ऐसा उद्देश्य विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके लिए बैठक का बुलाया जाना प्रस्तावित है। यदि प्रधान कोई विशेष बैठक बुलाने में विफल रहा है तो उप-प्रधान या सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे दिन को विशेष बैठक बुला सकेगा जो "ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर की किसी तारीख को बुलायेगा। ऐसे निवेदन में ऐसा उद्देश्य विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके लिए बैठक का बुलाया जाना प्रस्तावित है। यदि प्रधान कोई विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो उप-प्रधान या सक्षम प्राधिकारी उसके पश्चात् के पन्द्रह दिन से अनधिक के किसी दिन को विशेष बैठक बुला सकेगा और विकास अधिकारी से सदस्यों को नोटिस देने और ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा कर सकेगा जो बैठक बुलाने के लिए आवश्यक हो ।

(4) किसी सामान्य बैठक के लिए पूर्ण दस दिन का नोटिस और किसी विशेष बैठक के लिए पूर्ण सात दिन का नोटिस, ऐसी बैठक आयोजित किये जाने का समय और स्थान तथा उसमें किया जाने वाला कारबार विनिर्दिष्ट करते हुए, सदस्यों को भेजा जायेगा और पंचायत समिति के सूचना पट्ट पर चिपकाया जायेगा। ऐसे नोटिस में विशेष बैठक के मामले में ऐसी बैठक के लिए किये गये लिखित निवेदन में उल्लिखित कोई भी प्रस्ताव या प्रतिपादना सम्मिलित होगी ।

47. जिला परिषद् की बैठकें:- प्रत्येक जिला परिषद् संबंधित जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर, जो जिला परिषद् ठीक पूर्ववर्ती बैठक में नियत करे, प्रत्येक त्रिमास में कम से कम एक बार बैठकें आयोजित करेगी:

परन्तु प्रमुख और उप-प्रमुख के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम बैठक जिला परिषद् मुख्यालय पर ऐसी तारीख को और समय पर की जायेगी जो प्रमुख द्वारा नियत किया जाये;

परन्तु यह और कि प्रमुख, जब कभी वह उचित समझे, बैठक बुला सकेगा और जब जिला परिषद् के सदस्यों के एक-तिहाई द्वारा लिखित अपेक्षा की जावे तब, दस दिन के भीतर-भीतर ऐसा करेगा, जिसमें विफल रहने पर सक्षम प्राधिकारी जिला परिषद् के सदस्यों को पूर्ण सात दिन के नोटिस के पश्चात् बैठक बुला सकेगा।

48. गणपूर्ति और प्रक्रिया:- (1) किसी पंचायती राज संस्था की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी। यदि, बैठक के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं हुई हो तो अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी तीस मिनट तक इन्तजार करेगा, और यदि ऐसी कालावधि के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी बैठक को अगले दिन या ऐसे भावी दिन, जो वह नियत करे, के ऐसे ही समय तक के लिए स्थगित करेगा। इसी प्रकार वह तीस मिनट तक इन्तजार करने के पश्चात्, बैठक को स्थगित करेगा यदि उसके प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय पर गणपूर्ति के अभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाये। इस प्रकार नियत बैठक का नोटिस संबंधित पंचायत राज संस्था के कार्यालय में चरपां किया जायेगा। ऐसा कारबार, जिस पर गणपूर्ति के अभाव के कारण इस प्रकार स्थगित की गयी बैठक में विचार नहीं किया जा सका हो, इस प्रकार नियत की गयी बैठक के, इस बात को विचार में लाये बिना कि ऐसी बैठक में गणपूर्ति हुई है या नहीं, समक्ष लाया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय किसी पंचायती राज संस्था की प्रत्येक बैठक में संबंधित संस्था का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसी संस्था का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे परन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए ।

(2) सभी प्रश्न, जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या, यथास्थिति, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, जब तक कि वह मतदान से विरत नहीं रहता है, किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में मतों को संख्या की घोषणा करने के पूर्व अपना मत देगा और मतों के बराबर होने की दशा में वह अपना निर्णायक मत दे सकेगा।

(3) किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायत राज संस्था की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा यदि वह ऐसा प्रश्न है जिनमें, जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो और जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आये तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा ।

(4) यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में बैठक में उपस्थित किसी भी व्यक्ति का यह विष्वास हो कि चर्चा के अधीन के किसी भी मामले में उसका कोई भी ऐसा धनीय हित है और यदि उस प्रभाव का कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह बैठक में ऐसी चर्चा के दौरान अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा। संबंधित पंचायत राज संस्था का कोई भी सदस्य ऐसी चर्चा के चलते रहने के दौरान बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जा सकेगा।

(5) किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी संकल्प, उसके पारित किये जाने के पश्चात् छह मास के भीतर-भीतर किसी सामान्य या विशेष बैठक में सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अन्यून द्वारा पारित किसी संकल्प के सिवाय, उपान्तरित या रद्द नहीं किया जायेगा ।

(6) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां कार्यवृत्त पुस्तक में, बैठक के विचार-विमर्श के ठीक पश्चात् अभिलिखित की जायेंगी और बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा पढ़कर सुना दिये जाने के पश्चात् उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायेंगी। बैठक के विनिश्चयों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट पंचायती राज संस्था की अगली बैठक में की जायेगी। कार्यवृत्त पुस्तक सदैव पंचायती राज संस्था के कार्यालय में रखी जायेगी। कार्यवृत्त पुस्तक किन्हीं भी परिस्थितियों में कार्यालय के बाहर नहीं ले जायी जायेगी। किसी पंचायत के मामले में, सरपंच, किसी पंचायत समिति के मामले में, विकास अधिकारी और किसी जिला परिषद् के मामले में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रमशः कार्यवृत्त पुस्तक के अभिरक्षक होंगे।

(7) पंचायती राज संस्था अपनी बैठकों में जिला स्तरीय सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगी। यदि किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी जिले के या जिले से कम के

क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले और पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन कार्य नहीं करने वाले किसी भी ऐसे सरकारी अधिकारी की उपस्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद् की किसी बैठक में वांछनीय है तो विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशयित बैठक से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व, ऐसे अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा, उस अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए निवेदन करेगा और अधिकारी, जब तक कि बीमारी या अन्य समुचित कारण से रुक नहीं जाता है, बैठक में उपस्थित होगा:

परन्तु ऐसा अधिकारी, ऐसे पत्र की प्राप्ति पर, यदि वह पूर्वोक्त किन्हीं कारणों से उसमें स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो, बैठक में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने उपपदीय या अन्य सक्षम अधीनस्थ अधिकारी को अनुदेश दे सकेगा ।

49. किसी पंचायती राज संस्था के किसी कार्य का रिक्ति या अनियमितता द्वारा अविधिमान्य न होना:- किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी कार्य ऐसी संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद में या ऐसी पंचायती राज संस्था के लिए विहित सदस्यों की संख्या में किसी भी रिक्ति के कारण से या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के या ऐसी पंचायती राज संस्था के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति में की किसी भी त्रुटि, गलती, लोपन या अनियमितता के कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा ।

50. पंचायत के कृत्य और शक्तियां:- ऐसी शर्तों के अध्यक्ष रहते हुए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, पंचायत प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

51. पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियां:- ऐसी शर्तों के अध्यक्ष रहते हुए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, पंचायत समिति द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

52. जिला परिषद् के कृत्य और शक्तियां:- ऐसी शर्तों के अध्यक्ष रहते हुए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, जिला परिषद् तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

53. किसी पंचायत को कृत्यों का समनुदेशन:- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यक्ष रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें-

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन का प्रबंध और रख-रखाव किसी पंचायत को अन्तरित कर सकेगी;

(ख) पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित बंजर भूमि, चरागाह या सरकार की रिक्त भूमियों का प्रबंध पंचायत को सौंप सकेगी;

(ग) ऐसे अन्य कृत्य न्यस्त कर सकेगी जो विहित किये जायें:

परन्तु जब किसी वन के प्रबंध और रख-रखाव का कोई भी अन्तरण खण्ड (क) के अधीन किया जाये तो सरकार यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे प्रबंध और रख-रखाव के लिए अपेक्षित कोई भी रकम या ऐसे वन से आय का समुचित भाग पंचायत के व्ययनाधीन रख दिया जाये।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन समनुदेशित कृत्यों को उपान्तरित कर सकेगी।

54. पंचायत समिति या जिला परिषद् को कृत्यों का समनुदेशन:- (1) सरकार किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् को किन्हीं भी मामलों से संबंधित ऐसे कृत्य, जिन तक राज्य सरकार के कार्यपालक प्राधिकार का विस्तार है या ऐसे कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को समनुदेशित किये गये हैं, समनुदेशित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन समनुदेशित कृत्यों को प्रत्याहृत या उपान्तरित कर सकेगी ।

55. पंचायत समिति या जिला परिषद् की साधारण शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन:- (1) पंचायत समिति या जिला परिषद् को उसे न्यस्त या प्रत्यायोजित कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करने की

और विशिष्टतः तथा पूर्ववर्ती शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी ।

(2) पंचायत समिति संकल्प द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी पंचायत समिति को प्रदत्त कोई भी शक्तियां विकास अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(3) जिला परिषद् संकल्प द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् को प्रदत्त कोई भी शक्तियां मुख्य कार्यपालक या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

55-क. पंचायत की स्थायी समितियां.- (1) प्रत्येक पंचायत निम्नलिखित विषयों के समूहों में से प्रत्येक के लिए एक-एक स्थायी समिति का गठन करेगी, अर्थात्-

(क) प्रशासन और स्थापन;

(ख) वित्त और कराधान;

(ग) विकास और उत्पादन कार्यक्रम जिनमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग और अन्य सहबद्ध विषयों से संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित हैं;

(घ) शिक्षा;

(ड.) ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामदान, संसूचना, कमजोर वर्गों का कल्याण और सहबद्ध विषयों सहित सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय; और

(च) अधिसूचना संख्या एफ. 4() छठी स्थाई समिति/प.रा.वि./विधि/2003/1666 दिनांक 29-08-2003 द्वारा "विकास कार्यों के संबंध में पर्यवेक्षण एवं समीक्षा संबंधी" कार्य हेतु छठी स्थाई समिति का गठन करेगी।

(2) पंचायत उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी समूह या समूहों में प्रगणित नहीं किये गये किन्हीं विषयों के लिए एक छठी स्थायी समिति का गठन कर सकेगी।

(3) स्थाई समितियां इस प्रकार गठित की जायेंगी कि प्रत्येक सदस्य कम से कम ऐसी एक समिति में स्थान पा सके।

(4) प्रत्येक ऐसी स्थाई समिति में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से विहित रीति से निर्वाचित पांच सदस्य होंगे।

(5) सरपंच उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विषयों के समूह के लिए स्थायी समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा और अन्य स्थायी समितियों के अध्यक्ष प्रशासन और स्थापन समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(6) उप-सरपंच यदि किसी ऐसी स्थायी समिति का सदस्य निर्वाचित किया जाता है जिसका सरपंच सदस्य नहीं है तो वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा।

(7) प्रत्येक ऐसी अन्य स्थाई समिति का अध्यक्ष जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है, विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(8) कोई स्थाई समिति, जिसका कोई पदेन या निर्वाचित अध्यक्ष है, उसकी प्रत्येक ऐसी बैठक में, जिसमें ऐसा अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, अपने सदस्यों में से ऐसी बैठक के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(9) प्रत्येक स्थाई समिति उसे समनुदेशित विषयों के बारे में पंचायत की ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसी कृत्यों का निर्वहन करेगी जो वह ऐसी स्थाई समिति को समय-समय पर प्रत्यायोजित करे।

(10) यदि स्थाई समिति का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थाई समिति की क्रमवर्ती पांच बैठकों, जिनका उसे सम्यक नोटिस हो, से अनुपस्थित रहता है तो स्थाई समिति से उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकेगा;

परन्तु यदि अध्यक्ष स्वयं इस प्रकार अनुपस्थित हो तो वह ऐसी अनुपस्थिति के लिए सरपंच का अनुमोदन प्राप्त करेगा या यदि अध्यक्ष स्वयं सरपंच हो तो उसके बारे में पंचायत का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।

(11) उप-धारा (10) के प्रयोजन के लिए स्थायी समिति के ऐसे सदस्य को, जो उसकी चार क्रमवर्ती बैठकों में इस प्रकार से अनुपस्थित रहा है, तो चौथी बैठक की समाप्ति के ठीक पश्चात् एक नोटिस, ऐसी बैठक की, जिनमें वह उपस्थित होने में असफल रहा, विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए और उसे यह सूचित करते हुए, तामील किया जायेगा कि अगली बैठक में उपस्थित होने में उसके असफल रहने पर स्थाई समिति का उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा, और यदि ऐसा सदस्य पांचवीं बैठक में इस प्रकार से उपस्थित नहीं होता है या उसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार घोषणा की जायेगी।

56. पंचायत समिति की स्थायी समितियां:- (1) प्रत्येक पंचायत समिति धारा 55-क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषय समूहों में से प्रत्येक के लिए एक-एक करके पांच स्थाई समितियों का गठन करेगी और यथा-पूर्वाक्त विषय समूह या समूहों में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये किन्हीं विषयों के लिए एक छठी समिति का गठन कर सकेगी।

(2) ऐसी समितियों के गठन, पदावधि और कार्य के संचालन और अन्य सजातीय मामलों के संबंध में धारा 55-क के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस फेरफार के अध्यक्षीन रहते हुए लागू होंगे कि अभिव्यक्ति "सरपंच", "उप-सरपंच" और "पंचायत" के स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्ति "प्रधान", "उप-प्रधान" और "पंचायत समिति" प्रतिस्थापित की जायेगी।

57. जिला परिषद् की स्थायी समितियां:- (1) प्रत्येक जिला परिषद्, धारा 55-क की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट विषय समूहों में से प्रत्येक के लिए एक-एक करके पांच स्थायी समितियों का गठन करेगी, और यथापूर्वोक्त विषय समूह समूहों में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये किन्हीं विषयों के लिये एक छठी समिति का गठन कर सकेगी।

(2) ऐसे समितियों के गठन, पदावधि और कार्य के संचालन और अन्य सजातीय मामलों के संबंध में धारा 55-क के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस फेरफार के अध्यक्षीन रहते हुए लागू होंगे कि अभिव्यक्ति "सरपंच", "उप-सरपंच" और "पंचायत" के स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्ति "प्रमुख", "उप-प्रमुख" और "जिला परिषद्" प्रतिस्थापित की जायेगी।

58. स्थायी समितियों से अभिलेख मंगाने की शक्तियां - (पंचायत, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद्), किसी भी समय, किसी स्थायी समिति की बैठकों की कार्यवाहियों में के उद्घरणों को सम्मिलित करते हुए कोई भी दस्तावेज और किसी भी ऐसे मामले से संबंधित, जिस पर स्थायी समिति को विचार करने के पदावधि लिए प्राधिकृत या निदिष्ट किया गया है, या संबद्ध कोई भी विवरणी, विवरण, लेख या रिपोर्ट मंगा सकेगी और ऐसी प्रत्येक अध्यक्ष का स्थायी समिति द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

59. स्थायी समितियों के विनिश्चयों को पुनरीक्षित करने की शक्ति - (1) (पंचायत, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद्), उसे किये गये आवेदन पर या अन्यथा, उसकी किन्हीं स्थायी समितियों के किसी भी विनिश्चय के अभिलेख की परीक्षा कर सकेगी और ऐसे विनिश्चय को पुष्ट कर सकेगी, उलट या उपान्तरित कर सकेगी।

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई पुनरीक्षित किये जाने लिए ईप्सित विनिश्चय की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(2) (पंचायत, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद्) का उप-धारा (1) के अधीन उसकी स्थायी समिति के किसी विनिश्चय को उलटने या उपान्तरित करने वाला आदेश उसके सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत में समर्थित होना चाहिए जिसमें विफल होने पर स्थायी समिति का विनिश्चय बना रहेगा।

60. स्थायी समिति की बैठक :- स्थायी समिति, अपनी बैठकों के कारबार के संचालन के संबंध में, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो ऐसी बैठकों के संचालन के लिए विहित की जाये।

60-क. सतर्कता समिति - (1) राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र और प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र के लिए एक सतर्कता समिति का गठन कर सकेगी और ऐसी समितियां पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसमें से तीन सदस्य संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन गठित सतर्कता समिति संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के संकर्मों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगी।

(3) सतर्कता समिति संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

61. पंचायतों के आदेशों की अपीलें :- (1) इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि के अधीन किये गये या जारी किये गये किसी पंचायत के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर कर सकेगा जिसमें से उसकी प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अध्यक्षित समय अपवर्जित होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की अपील की सुनवाई धारा 56 की उप- धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा की जायेगी।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट स्थायी समिति व्यथित व्यक्ति, पंचायत और ऐसे आदेश या निर्देश से, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात् ऐसे आदेश या निदेश को परिवर्तित, अपास्त या पुष्ट कर सकेंगी और अपील फाइल करने वाले व्यक्ति को या उससे खर्चा भी दिलवा सकेगी।

(4) स्थायी समिति का विनिश्चय समस्त प्रयोजनों के लिए पंचायत समिति का विनिश्चय समझा जायेगा।

62. शास्ति अधिरोपित करने की पंचायत की शक्ति:- यदि किसी पंचायत का यह समाधान हो जाये कि किसी व्यक्ति ने पंचायत के द्वारा पारित किसी साधारण या विशेष आदेश की अवज्ञा की है तो वह यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, ऐसी राशि जो दो सौ रुपये तक की हो सकेगी और अवज्ञा के जारी रहने के मामले में ऐसी और राशि, जो प्रथम दिन के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अवज्ञा जारी रहे, दस रुपये तक की हो सकेगी, संदत्त करेगा।

63. संपत्तियों का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति:- (1) पंचायती राज संस्था को सम्पत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने की और संविदाएँ करने की शक्ति होगी :

परन्तु स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या व्ययन के सभी मामलों में संबंधित पंचायती राज संस्था राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(2) किसी पंचायती राज संस्था द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से संनिर्मित सभी सड़कें, भवन या अन्य कार्य उसमें निहित होंगे।

(3) राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था को ऐसी पंचायती राज संस्था की अधिकारिता के भीतर स्थित कोई भी लोक सम्पत्ति आवण्टित कर सकेगी और तत्पश्चात् ऐसी सम्पत्ति ऐसी पंचायती राज संस्था में निहित होगी और उसके नियंत्रण के अधीन होगी।

(4) जहां कोई पंचायती राज संस्था इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए भूमि की अपेक्षा करे वहां उस उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से बातचीत कर सकेगी या भूमि के अर्जन के लिए सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन कर सकेगी जो, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी भूमि, अर्जन पर, संबंधित पंचायती राज संस्था में निहित होगी।

64. निधियां:- (1) प्रत्येक पंचायती राज संस्था के लिए संबंधित पंचायती राज संस्था के नाम से एक निधि गठित की जायेगी और उसके जमा खाते में निम्नलिखित रखा जायेगा :-

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किये गये अभिदाय और अनुदान, यदि कोई हों, जिनमें राज्य में संगृहीत भू-राजस्व का उतना भाग सम्मिलित है जितना सरकार द्वारा अवधारित किया जाये;

(ख) राज्य वित्त आयोग, द्वारा यथा-अनुमोदित करों या अन्य आमदनियों का अंश;

(ग) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिये गये अभिदाय और अनुदान, यदि कोई हों;

(घ) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गये या संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा लिये गये ऋण, यदि कोई हों;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा उद्गृहीत पथकर, करों और फीसों के लेखे की सभी प्राप्तियां;

(च) संबंधित पंचायती राज संस्था में निहित, उसके द्वारा संनिर्मित या उसके नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन रखे गये किन्हीं भी विद्यालयों, अस्पतालों, चिकित्सालयों, भवनों, संस्थाओं या कार्यों से संबंधित प्राप्तियां;

(छ) दान या अभिदान के रूप में प्राप्त सभी राशियां और संबंधित पंचायती राज संस्था के पक्ष में किये गये किसी भी न्यास या विन्यास से प्राप्त सभी आय;

(ज) इस अधिनियम के या तदधीन बनायी गयी उप-विधियों के अधीन अधिरोपित और वसूल किये गये सभी जुर्माने या शास्तियां; और

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था के द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त की गयी सभी अन्य राशियां।

(2) प्रत्येक पंचायती राज संस्था प्रतिवर्ष उतनी राशियां अलग रखेगी और उपयोजित करेगी जितनी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, भविष्य निधि और उपदान को सम्मिलित करते हुए उसके स्वयं के प्रशासन के खर्चों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित हों। स्थापन पर कुल व्यय संबंधित पंचायती राज संस्था के कुल व्यय के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु ऋणों के प्रतिसंदाय का उपबंध संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा उसके वार्षिक बजट प्राक्कलन में किया जायेगा।

(परन्तु यह और कि स्थापन पर तीस प्रतिशत व्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट योजनाओं या कार्यक्रमों में शिथिल की जा सकेगी)

(3) किसी पंचायती राज संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उतनी राशि खर्च करने की शक्ति होगी जितनी वह उचित समझे और वह चालू व्यय अदा करने के लिए रखी जाने वाली अग्रदाय की रकम अवधारित कर सकेगी ।

(4) पंचायती राज संस्था निधि संबंधित पंचायती राज संस्था में निहित होगी और निधि के जमाखाते का अतिशेष निकटतम खजाने/उप-खजाने, डाकघर या किसी भी अनुसूचित बैंक की शाखा में व्यक्तिगत जमा लेखा में रखा जायेगा।

(5) ऐसे साधारण नियंत्रण के अधधीन रहते हुए, जिसका पंचायत समिति या जिला परिषद् समय समय पर प्रयोग करे, पंचायत समिति या जिला परिषद् निधियों से संदाय के लिए सभी आदेश और चैक क्रमशः विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे;

परन्तु पंचायत समिति या जिला परिषद् के 20,000/-रु. से अनधिक की रकम के सभी ऐसे आदेश और चैक प्रधान या, यथास्थिति, जिला प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगे और किसी पंचायत के मामले में सभी प्रत्याहरण सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होंगे।

65. कर, जो किसी पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जा सकेंगे:- (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों और किये गये किन्हीं आदेशों के अधधीन रहते हुए कोई पंचायत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कर अधिरोपित कर सकेगी, अर्थात् -

(क) व्यक्तियों के स्वामित्व वाले भवनों पर ऐसी दर से कर जो विहित की जाये;

(ख) {विलोपित}; {मनोरंजन और आमोद-प्रमोद कर};

(ग) {विलोपित};

(घ) तीर्थ-यात्री कर;

(ङ) पंचायत सर्किल के भीतर पेय जल के प्रदाय का इन्तजाम करने के लिए कर;

(च) वाणिज्यिक फसलों पर कर;

(छ) कोई भी अन्य कर जिसे, संविधान के अधीन, राज्य में अधिरोपित करने की राज्य विधान मण्डल को शक्ति हो और जो सरकार द्वारा मंजूर किया गया हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन के कर ऐसी रीति से अधिरोपित, निर्धारित और संगृहीत तथा ऐसे समयों पर संदत्त या वसूल किये जायेंगे जो विहित किये जायें।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी पंचायत से, उप-धारा (2) के अधधीन रहते हुए, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भी कर ऐसी तारीख से और ऐसी दर से अधिरोपित करने की अपेक्षा कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन की किसी भी अधिसूचना के प्रवृत्त रहते समय पंचायत उसमें विनिर्दिष्ट कर या करों को अधिरोपित करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगी मानो पंचायत का कोई संकल्प उसके अधिरोपण के लिए पारित हो गया था और उसके लिए इस प्रकार अधिरोपित किसी भी कर को परित्यक्त, उपान्तरित या समाप्त करना विधिपूर्ण नहीं होगा :

परन्तु राज्य सरकार किसी भी समय ऐसी किसी अध्यक्षता को रद्द कर सकेगी या उसे किसी भी रूप में उपान्तरित कर सकेगी;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार की अध्यक्षता पर उप-धारा (3) के अधीन जब कोई कर अधिरोपित किया गया हो तब पंचायत द्वारा ऐसी अध्यक्षता के बिना पूर्व में अधिरोपित ऐसे ही स्वरूप के ऐसे कर का उद्ग्रहण और वसूली ऐसी तारीख से बंद कर दी जायेगी जिससे, ऐसी अध्यक्षता पर अधिरोपित कर उद्ग्रहीत और वसूल किया जाना है :

परन्तु यह भी कि उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन का कर मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) में यथा-परिभाषित किसी मोटर यान या किसी भी अन्य यंत्र-नोदित यान पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "वाणिज्यिक फसलें" मिर्च, कपास, सरसों, गन्ना, जीरा और मूंगफली हैं।

66. सामुदायिक सेवा के लिए विशेष कर:- पंचायत, पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के संनिर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकेगी:

परन्तु वह किसी भी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किये जाने के बदले में इस कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

67. पंचायत की फीसों प्रभारित करने की शक्ति:- (1) पंचायत कोई भी अस्थायी संरचना करने के लिए या कोई भी निकला हुआ भाग बनाने के लिए या पंचायत में निहित किसी भी लोक या अन्य भूमि के अस्थायी अधिभोग के लिए या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा की गयी किसी भी सेवा के लिए या निर्विहित किसी भी कर्तव्य के संबंध में फीसों प्रभारित कर सकेगी।

(2) ऐसी फीसों ऐसी दर से और ऐसी रीति से प्रभारित की जायेंगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में या पंचायत द्वारा बनायी गयी किन्हीं उप-विधियों में विहित की जाये और पंचायत के लिए किसी भी ऐसी फीस को लोक नीलामी द्वारा पट्टे पर देना विधिपूर्ण होगा।

68. पंचायत समिति की कर अधिरोपित करने की शक्ति:- (1) कोई पंचायत समिति कृषि भूमि के उपयोग या अधिभोग के लिए संदेय लगान पर संदेय एक कर, ऐसे लगाने के एक रुपये पर पचास पैसे की दर से अधिरोपित और उद्ग्रहीत कर सकेगी, ऐसा कर ऐसी भूमि के संयुक्त: या पृथक्त: कृषकीय कब्जे वाले या उससे कोई भी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदेय होगा।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के उपबंधों और राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या: विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए पंचायत समिति, निम्नलिखित में से समस्त या किन्हीं करों को भी विहित रीति से अधिरोपित और उद्ग्रहीत कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) ऐसे व्यापारों, आजीविकाओं, व्यवसायों और उद्योगों पर कर, जो विहित किये जायें;

(ख) प्राथमिक शिक्षा उपकर; और

(ग) पंचायत समिति की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर आयोजित उसके मेलों के संबंध में कर ।

69. जिला परिषद् की कर और फीसों अधिरोपित करने की शक्ति:- ऐसे अधिकतम दरों के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार विहित करे, जिला परिषद् निम्नलिखित उद्ग्रहीत कर सकेगी-

(क) किसी मेले की अनुज्ञप्ति के लिए फीस;

(ख) जल रेट, जहां जिला परिषद् द्वारा उसकी अधिकारिता के भीतर पीने, सिंचाई या अन्य किसी प्रयोजन के लिए जल के प्रदान की व्यवस्था की गयी है:

(ग) अधिभार-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति के विक्रय पर के स्टाम्प शुल्क पर पांच प्रतिशत तक; और

(ii) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) की धारा 17 में निर्दिष्ट मण्डी फीस पर एक प्रतिशत तक ।

70. कर और फीसों का भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होना:- इस अधिनियम के अधीन पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा उद्ग्रहणीय उपकरणों, करों, शुल्कों और फीसों की या उसके द्वारा मंजूर किये गये ऋणों की समस्त बकाया {या पंचायत राज संस्था के किसी भी सदस्य सभापति/उप-सभापति/किसी भी पदाधिकारी से उसकी गलती या उसके द्वारा गबन के कारण शोध या वसूलीय या पंचायती राज संस्था की निधि में से उसके अन्यथा शोध कोई भी राशि} भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

71. निर्धारण की अपील:- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी भी कर या फीस के निर्धारण, उद्ग्रहण या अधिरोपण से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसकी अपील सक्षम प्राधिकारी को कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील, ऐसे निर्धारण, उद्ग्रहण या अधिरोपण की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, तारीख से नब्बे दिन के भीतर- भीतर की जा सकेगी और उस पर सक्षम प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

72. उद्ग्रहण को निलंबित करने की शक्ति:- राज्य सरकार किसी भी कर या फीस के उद्ग्रहण या अधिरोपण को निलंबित कर सकेगी और किसी भी समय ऐसे निलंबन को विखंडित कर सकेगी।

73. राज्य सरकार की आय में वृद्धि करने की अपेक्षा करने की शक्ति:- यदि, राज्य सरकार की राय में, किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की आय, उससे कम है जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक है तो राज्य सरकार पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से छह मास से अन्यून की ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो अध्यक्षता में विनिर्दिष्ट की जाये, उसकी आय को ऐसी सीमा तक बढ़ाये जाने के लिए कदम उठाने की अपेक्षा कर सकेगी, जो राज्य सरकार आवश्यक समझे।

74. वार्षिक बजट:- (1) सरपंच या विकास अधिकारी या, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रतिवर्ष विहित तारीख से पूर्व, विहित तारीख तक की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का तथा अगली 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का एक पूरा लेखा, ठीक अगली एक अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित पंचायती राज संस्था की आय, व्यय और अन्य प्राप्तियों के बजट प्राक्कलनों के सहित, तैयार करेगा और क्रमशः सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के समक्ष रखेगा।

(2) तत्पश्चात् संबंधित पंचायती राज संस्था बजट प्राक्कलनों में अंतर्विष्ट विनियोगों और अर्थोपायों पर विनिश्चय करेगी।

(3) ऐसे प्राक्कलनों में संबंधित पंचायती राज संस्था, अन्य बातों के साथ-साथ-

(क) ऐसी सेवाओं के लिए पर्याप्त और यथोचित उपबन्ध करेगी जो इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा संबंधित पंचायती राज संस्था पर अधिरोपित विभिन्न कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित हों;

(ख) मूलधन और ब्याज की ऐसी समस्त किस्तों के जिनके लिए संबंधित पंचायती राज संस्था उसके द्वारा संविदाकृत ऋणों के संबंध में दायी हो, जैसे ही वे देय हों वैसे ही, संदाय के लिए उपबंध करेगी;

(ग) उक्त वर्ष की समाप्ति पर उतनी राशि से अन्यून के अतिशेष की गुंजाइश रखेगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाये ।

(4) पंचायत द्वारा अंतिम रूप से यथा-पारित बजट प्राक्कलन, विकास अधिकारी को और पंचायत समिति के, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को और जिला परिषद् के {निदेशक ग्रामीण विकास और पंचायती राज को} ऐसी तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किये जायेंगे जो विहित की जाये जो, संवीक्षा के पश्चात्, उसे अपनी टिप्पणियों के साथ, विहित समय के भीतर पंचायत समिति, जिला परिषद् या, यथास्थिति, राज्य सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगा। यदि मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए बजट प्राक्कलनों में समुचित उपबंध नहीं किया गया है तो उसे ऐसे उपान्तरणों का सुझाव देने की, जो ऐसा उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों, और उसे, उनमें किये जाने वाले उपान्तरणों के संबंध में अपनी टिप्पणियों के साथ संबंधित पंचायती राज संस्था को लौटाने की, शक्ति होगी। संबंधित पंचायती राज संस्था ऐसी टिप्पणियों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों सहित बजट पारित करेगी जो वह उचित समझे;

परन्तु यदि मंजूरी प्राधिकारी इस निमित्त विहित समय के भीतर संबंधित पंचायती राज संस्था को बजट लौटाने में विफल रहे तो संबंधित पंचायती राज संस्था उन प्रतिबद्ध मदों और व्यय की ऐसी अन्य मुद्दों पर, जिनके लिए संबंधित पंचायती राज संस्था के पास स्वयं के अपने स्रोत हैं या उन्हें जुटा लेगी, राज्य योजना में विभिन्न कार्यक्रमों को समनुदेशित पूर्विकताओं के अनुरूप हाथ में लिये जाने वाले कार्यक्रमों के अध्यक्षीन रहते हुए, व्यय उपगत कर सकेगी;:

परन्तु यह और कि किसी पंचायती राज संस्था द्वारा व्यय की ऐसी किसी भी मद पर, जिसके लिए समतुल्य अनुदान अभिप्ताप्त किया जाना है, कोई भी व्यय उस समय तक उपगत नहीं किया जायेगा जब तक कि बजट को मंजूरी प्राधिकारी द्वारा नहीं लौटा दिया जाये।

(5) यदि, किसी वर्ष के दौरान कोई पंचायती राज संस्था बजट में कोई भी परिवर्तन, उसकी प्राप्तियों या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ व्यय की जाने वाली रकम के वितरण के संबंध में, करना आवश्यक समझे तो उपधारा (1), (2) और (4) में उपबंधित रीति से कोई अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट विरचित, पारित, प्रस्तुत और उपान्तरित किया जा सकेगा।

75. लेखे और संपरीक्षा:- (1) कोई पंचायती राज संस्था ऐसे लेखे रखेगी और ऐसे विवरण ऐसे प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगी जो विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक पंचायती राज संस्था के प्राप्ति और व्यय के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में रखे जायेंगे जो विहित किया जाये।

(3) किसी पंचायती राज संस्था के वार्षिक लेखों का एक सार, प्राप्ति के प्रत्येक शीर्ष के अधीन उसकी आय, स्थापन के प्रभार, किये गये कार्य, प्रत्येक कार्य पर व्यय की गयी राशि, अव्ययित रहा अतिशेष, यदि कोई हो, और ऐसी अन्य जानकारी, जो नियमों द्वारा अपेक्षित हो, दर्शित करते हुए, विहित रीति से तैयार किया जायेगा और उसे अंतिम रूप दिया जायेगा।

(4) किसी पंचायती राज संस्था द्वारा रखे और संधारित किये गये समस्त लेखों की संपरीक्षा राज्य के निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र की जायेगी और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम 28) के उपबंध लागू होंगे :

परन्तु भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी ऐसे {लेखों की परीक्षा कर सकेगा और ऐसे संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जावेगी।}

(5) संबंधित पंचायती राज संस्था ऐसी संपरीक्षा के प्रभारों के रूप में ऐसी राशि अपनी निधि में से संदत्त करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

76. उधार और निक्षेप निधियां - (1) कोई पंचायती राज संस्था, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उधार जुटाने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, समय-समय पर, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उधार जुटा सकेगी और ऐसे उधारों के प्रतिसंदाय के लिए कोई निक्षेप निधि सृजित कर सकेगी।

(2) कोई पंचायती राज संस्था अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ऐसी विनिर्दिष्ट स्कीमों के आधार पर, जो ऐसी पंचायती राज संस्था द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैयार की जावे, सरकार से या सरकार की पूर्व मंजूरी से बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन उधार ले सकेगी।

77. उधार मंजूर करने की शक्तियां:- कोई पंचायती राज संस्था अपने क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए अपनी निधियों में से ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं या सोसाइटियों को और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उधार मंजूर कर सकेगी, जो विहित की जायें।

78. सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति:- (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए -

(क) प्रत्येक पंचायत के लिए एक सचिव होगा जो विहित रीति से नियुक्त किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक पंचायत, पंचायत समिति के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसा अन्य कर्मचारिवृन्द, जो आवश्यक हो, सेवा की ऐसी शर्तों पर नियुक्त कर सकेगी, जो विहित की जायें।

(2) प्रत्येक पंचायत के सचिव का, सरपंच के नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित कर्तव्य होगा -

(क) पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर अपनी अभिरक्षा में रखना;

(ख) पंचायत के निमित्त प्राप्त धन राशियों के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीदें जारी करना;

(ग) पंचायत निधि के लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन अपेक्षित समस्त विवरण और रिपोर्ट तैयार करना;

(च) समस्त ऐसे संदाय करना, जो पंचायत द्वारा मंजूर किये जायें; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य और कर्तव्य करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित या प्रत्यायोजित किये जायें।

79. विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी :- (1) राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक विकास अधिकारी {एक खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी} और ऐसे अन्य प्रसार अधिकारी तथा लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार नियुक्त करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार-

(क) किसी राज्य सेवा के कांडर में सम्मिलित व्यक्ति का राज्य सरकार के अधीन पद धारित करने वाले व्यक्ति होंगे;

(ख) ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे; और  
(ग) राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित किये जा सकेंगे ।

80. पंचायत समिति का कर्मचारिवृन्द:- (1) राज्य सरकार धारा 79 में निर्दिष्ट से भिन्न प्रत्येक पद प्रवर्ग की ऐसी संख्या नियत करेगी, जो वह प्रत्येक पंचायत समिति के लिए आवश्यक समझे और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतनमान और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें विहित करेगी ।

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्रत्येक पंचायत समिति, यदि वह आवश्यक समझे, उन्हीं वेतनमानों और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों के, जो उपधारा (1) के अधीन विहित की जावे, ऐसे प्रत्येक प्रवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित कर सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियत या उपधारा (2) के अधीन सृजित चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के पदों पर नियुक्तियां विकास अधिकारी के द्वारा विहित रीति से की जायेंगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियत या उपधारा (2) के अधीन सृजित अन्य पदों पर नियुक्तियां पंचायत समिति द्वारा, विहित रीति से, धारा 89 के अधिन गठित राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के लिए चुने गये व्यक्तियों में से की जायेंगी।

81. विकास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य:- (1) विकास अधिकारी - (क) पंचायत समिति और उसकी स्थायी समितियों की बैठकों के लिए, प्रधान और स्थायी समिति के अध्यक्ष के अनुदेशों से नोटिस जारी करेगा;

(ख) ऐसी समस्त बैठकों में उपस्थित होगा और उनका कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और रखेगा;

(ग) ऐसी बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग लेगा;

(घ) पंचायत समिति निधि में से धन आहरित और संवितरित करेगा:

परन्तु प्रधान, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसे किसी भी संदाय को रोक सकेगा और मामला पंचायत समिति या संबंधित स्थायी समिति के समक्ष रख सकेगा; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किये या उस पर अधिरोपित किये जायें अथवा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

(2) यदि किसी भी कारण से विकास अधिकारी पंचायत समिति या उसकी किसी स्थायी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उसका अधीनस्थ ऐसा वरिष्ठतम अधिकारी ऐसी बैठक में उपस्थित होगा जो बैठक के स्थान पर विद्यमान हो ।

81-क. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की शक्तियाँ एवं कृत्य - (1) खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी -

(क) पंचायत समिति के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

82. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी:- (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी {या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष रूप से चयनित कोई परियोजना निदेशक} जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार, सरकार किसी जिला परिषद् के लिए किसी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगी, जो विहित की जायें।

{स्पष्टीकरण - मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।}

(2) सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए मुख्य लेखाधिकारी {जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी} और मुख्य आयोजन अधिकारी को नियुक्त करेगी।

(3) सरकार समय-समय पर प्रत्येक जिला परिषद् में अपने इतने अधिकारी पदस्थापित करेगी, जितने सरकार आवश्यक समझे ।

(4) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को, इस रूप में पदस्थापित अधिकारियों और पदाधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी।

83. जिला परिषद् का कर्मचारिवृन्द:- धारा 80 के उपबन्ध, किसी जिला परिषद् के कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में इस फेरफार के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों "धारा 79", "पंचायत समिति" और "विकास अधिकारी" के स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "धारा 82", "जिला परिषद्" और "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

84. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य:- (1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन जैसा अन्यथा अभिव्यक्त से उपबन्धित है उसके सिवाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी -

(क) जिला परिषद् की नीतियों, विनिश्चयों और निदेशों को क्रियान्वित करेगा, और जिला परिषद् के सभी कार्यों तथा विकास स्कीमों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक अधुपाय करेगा;

(ख) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(ग) जिला परिषद् के सामान्य अधीक्षण और नियन्त्रण के और ऐसे नियमों के, जो बनाये जावें, अधीन रहते हुए जिला परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखेगा;

(घ) जिला परिषद् से सम्बन्धित सभी कागजात और दस्तावेजों अभिरक्षा करेगा; और

(ङ) जिला परिषद् निधियों में से धन आहरित और संवितरित करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रमुख के अनुदेशों के अधीन, जिला परिषद् और स्थायी समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए नोटिस जारी करेगी और उसमें उपस्थित होगा तथा चर्चा में भाग ले सकेगा किन्तु उसे कोई भी संकल्प प्रस्तुत करने या मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय में जिला परिषद् के समक्ष का कोई भी प्रस्ताव इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि अथवा तद्दीन बनाये गये नियमों या आदेशों के उपबन्ध अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के उल्लंघन में दिया हो तो उनसे असंगत हो तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उसे जिला परिषद् के ध्यान में लायें ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद् की या उसकी किसी भी समिति की बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर राज्य सरकार को जिला परिषद् या उसकी किसी भी समिति का ऐसा प्रत्येक संकल्प प्रस्तुत करेगा जो उसकी राय में इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों से असंगत और वह ऐसे संकल्प को सरकार के निदेशों से भिन्न रूप में कार्यान्वित नहीं करेगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित पर प्रवेश कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा -

(क) किसी भी पंचायत या पंचायत समिति के नियन्त्रणाधीन कोई भी स्थावर सम्पत्ति या कोई भी चालू कार्य;

(ख) किसी भी पंचायत या पंचायत समिति द्वारा चलाया जा रहा या उसके नियन्त्रणाधीन कोई भी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, टीका केन्द्र, कुक्कुटशाला या अन्य संस्था और ऐसी संस्थाओं में रखा गया कोई भी अभिलेख, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज़; और

(ग) किसी भी पंचायत या पंचायत समिति के कार्यालय और उसमें रखे गये कोई भी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ ।

(5) पंचायत या पंचायत समिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सारी युक्तियुक्त समयों पर अपनी सम्पत्ति या परिसर तक और सभी दस्तावेजों तथा ऐसी पहुँच उपलब्ध कराने के लिए आबद्ध होगी जो उसकी राय में उसे उपधारा (4) के अधीन के उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

(6) मुख्य लेखाधिकारी जिला परिषद् को वित्तीय नीति के विषयों में सलाह देगा और वार्षिक लेखों तथा बजट की तैयारी सहित जिला परिषद् के लेखों से संबंधित समस्त विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) मुख्य लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यय उचित मंजूरी के और इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार के सिवाय उपगत नहीं किया जाये और ऐसा कोई भी व्यय अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस अधिनियम या नियमों और विनियमों द्वारा अपेक्षित नहीं हो या इसके लिए बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो।

(8) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करेगा।

(9) मुख्य आयोजन अधिकारी जिला परिषद् को योजना-निर्माण के विषयों में सलाह देगा और जिले की आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं और वार्षिक योजना की तैयारी सहित जिला परिषद् के आयोजन से संबंधित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा ।

(10) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला परिषद् के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

85. विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियाँ:- मुख्यालय से प्रधान की अनुपस्थिति में विकास अधिकारी और प्रमुख की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आग, बाढ़, महामारी, जैसे या ऐसे ही अन्य आपात के मामले में, ऐसे किसी भी कार्य के निष्पादन का या ऐसे किसी भी कार्य के किये जाने का निर्देश दे सकेगा जिसके लिए सामान्यतः सम्बन्धित पंचायती राज संस्था की या उसकी किसी स्थायी समिति की मंजूरी अपेक्षित है और जिसका निष्पादन किया जाना, उसकी राय में जनता के कल्याण या सुरक्षा के लिए अथवा सम्पत्ति को होने वाले नुकसान के नियन्त्रण के लिए आवश्यक है तथा यह भी निर्देश दे सकेगा कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसा कार्य करने के व्यय संबंधित पंचायती राज संस्था की निधि में से संदत्त किये जायेंगे। ऐसे प्रत्येक मामले में, वह की गयी कार्रवाई और उसके कारणों की रिपोर्ट ऐसे कार्य की मंजूरी देने या ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को तुरन्त करेगा।

86. सरकारी अधिकारियों की शक्ति:- राज्य सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी पंचायत समिति या जिला परिषद् और उनकी स्थायी समितियों की बैठक में उपस्थित होने और अपने विभागों से संबंधित विषयों से संबंधित ऐसी बैठकों में के विचार-विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे।

87. पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा पंचायतों के माध्यम से कार्यों और कार्यक्रमों का निष्पादन:- इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी ऐसे कोई भी कार्यक्रम, जिनको किसी भी एक पंचायत सर्किल के फायदे के लिए करने का कोई पंचायत समिति या जिला परिषद् विनिश्चय करे, करने का उत्तरदायित्व उस पंचायत सर्किल की पंचायत का होगा और वे उसके माध्यम से किये जायेंगे, यथास्थिति, निष्पादित किये जायेंगे ।

88. अभिलेखों की अध्यपेक्षा करने का अधिकार:- (1) किसी पंचायती राज संस्था से संबंधित धन, लेखों, अभिलेखों या अन्य सम्पत्ति का कब्जा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की लिखित अध्यपेक्षा पर, ऐसा धन या ऐसे लेखे, अभिलेख या अन्य सम्पत्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी को या उसे प्राप्त करने के लिए अध्यपेक्षा में प्राधिकृत व्यक्तियों को तुरन्त सौंप देगा या परिदत्त कर देगा।

(2.) मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति से शोध्य कोई भी धन उसी रीति से और उन्हीं उपबन्धों के अधधीन रहते हुए वसूल करने की कार्रवाई भी कर सकेगा जो व्यतिक्रमियों से भू-राजस्व की बकाया की वसूली किये जाने के लिए राजस्थान भू -राजस्व अधिनियम में हैं और किसी पंचायती राज संस्था से संबंधित लेखों, अभिलेखों या अन्य सम्पत्ति की वसूली के प्रयोजन के लिए उसके सम्बन्ध में कोई भी तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अध्याय 7 के उपबन्धों के अधीन विधिपूर्वक किया जा सकता हो ।

(3.) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो यह जानता है कि किसी पंचायती राज संस्था से संबंधित कोई धन, लेखे, अभिलेख या अन्य सम्पत्ति कहां छिपायी गयी है, उसकी जानकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी को देने के लिए आबद्ध होगा ।

(4.) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के किसी आदेश की कोई अपील राज्य सरकार को हो सकेगी ।

(89) राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा का गठन:- (1) राज्य के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के रूप में अभिहित और इस धारा में इसके पश्चात् सेवा के रूप में निर्दिष्ट एक सेवा गठित की जायेगी और उसके लिए भर्ती जिलेवार की जायेगी।

{परन्तु उप-धारा (2) के {खण्ड (i), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट} पदों के लिए चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा।}

(2) सेवा को विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकेगा, प्रत्येक प्रवर्ग को भिन्न.भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और उसमें -

(i) ग्राम विकास अधिकारी;

(ii) ग्राम सेविकाएं;(विलोपित)

(iii) {प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय} अध्यापक;

(iv) लिपिकवर्गीय स्थापन (लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों को छोड़कर),  
होंगे। और;

(v) प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक;

(3)राज्य सरकार सेवा के काडर में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के किसी भी अन्य प्रवर्ग या श्रेणी के अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों को, जो चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित कर सकेगी ।

(4)राज्य सरकार सेवा के काडर में सम्मिलित किये गये प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक प्रवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य, कृत्य और शक्तियाँ विहित कर सकेगी।

(5)सेवा में के पदों की समस्त नियुक्तियां -

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) पदोन्नति द्वारा; या

(ख) स्थानान्तरण द्वारा;

की जायेंगी।

(6){उपधारा (2) खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर} और उपधारा (3) के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर} सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, धारा 90 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट जिला स्थापन समिति द्वारा जिले में की किसी श्रेणी या प्रवर्ग में के पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी।

{(6क) उप-धारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा उक्त पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि विहित की जाये;}

{(6कक) उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, ऐसी एजेन्सी द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि विहित की जाये; और}

{(6ख), उपधारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति, संबंधित जिले के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार सरकार द्वारा गठित भर्ती समिति द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी;

परन्तु विधवाओं और विच्छिन्न विवाह स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों के मामले में, चयन ऐसी रीति से और ऐसी छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।}

(7) नियुक्ति प्राधिकारी तब तक के लिये जब तक जिला स्थापन समिति द्वारा चयन नहीं कर दिया जाये या चयनित व्यक्ति के लिए उपलब्ध न हो जायें, छह माह से अनधिक को किसी कालावधि के लिए विहित रीति से अस्थायी आधार पर नियुक्तियां कर सकेगी और उक्त कालावधि जिला स्थापन समिति के परामर्श के पश्चात् ही बढ़ायी जा सकेगी।

{परन्तु उपधारा (2) खण्ड में विनिर्दिष्ट पदों पर अस्थायी आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं की जावेगी।}

(8) नियुक्तियां-

(i) पदोन्नति द्वारा, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, विहित रीति से ऐसे व्यक्तियों में से की जायेंगी जिनका नाम जिला स्थापन समितियों द्वारा तैयार की गयी सूची में दर्ज किया गया है; और

(ii) स्थानान्तरण द्वारा, उन पंचायत समितियों या जिला परिषदों के प्रधानों या, यथास्थिति, प्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् की जायेंगी जिनसे और जिनमें ऐसा स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

{(8क) उप-धारा (8) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार, सेवा के किसी भी सदस्य को {पदस्थापन के किसी स्थान से पदस्थापन के किसी अन्य स्थान पर, चाहे उसी पंचायत समिति के भीतर या} एक पंचायत समिति से किसी दूसरी पंचायत समिति में, चाहे वह एक ही जिले के भीतर हो या उसके बाहर, एक जिला परिषद से दूसरी जिला परिषद में या किसी पंचायत समिति से किसी जिला परिषद में या किसी जिला परिषद से किसी पंचायत समिति में स्थानान्तरित कर सकेगी और उपधारा (8) या तद्वीन बनाये गये नियमों के अधीन किये गये स्थानान्तरण के किसी भी आदेश के प्रवर्तन को रोक भी सकेगी या उक्त आदेश को रद्द भी कर सकेगी।}

(9) सेवा के काडर में सम्मिलित किये गये पदों को धारित करने वाले व्यक्ति भी किसी राज्य सेवा में के या राज्य सरकार के अधीन के पदों पर, राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार और ऐसे नियमों में अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए नियुक्ति या पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, और इस रूप में नियुक्त या पदोन्नत व्यक्तियों की इस धारा के अधीन गठित सेवा में अपना पद धारित करने की कालावधि को वरिष्ठता और पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जायेगा ।

(10) किसी राज्य सेवा में नियुक्ति धारित करने वाले व्यक्ति भी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार और उन नियमों में अधिकथित निबंधनों और शर्तों पर, इस धारा के अधीन गठित सेवा के काडर में सम्मिलित किये गये किसी पद पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(11) इस धारा के अधीन गठित सेवा में सम्मिलित किये गये किसी पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य की संचित निधि में से राज्य सरकार द्वारा पेंशन का संदाय किये जाने का हकदार होगा।

90. जिला स्थापन समिति का गठन और कृत्य:- (1) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्थापन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) जिला प्रमुख, अध्यक्ष के रूप में;

(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(iii) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (जहां उक्त समिति के समक्ष के मामले का संबंध किसी प्राथमिक विद्यालय के किसी शिक्षक की नियुक्ति अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों से हो) ः और

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित कोई एक अधिकारी ।

(2) जिला स्थापन समिति-

(क) जिले की पंचायत समिति और जिला परिषद् में की सेवा में विद्यमान {धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (i), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर} विभिन्न श्रेणियों और प्रवर्गों में के पदों के लिए चयन इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार करेगी;

(ख) अस्थायी नियुक्ति के ढंग को विनियमित करेगी और ऐसी नियुक्ति में छह मास से आगे की वृद्धि के लिए व्यक्तियों के नामों को सिफारिश करेगी;

(ग) विहित रीति से पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की सूचियां तैयार करेगी; और

(घ) जिले की पंचायत समितियों और जिला परिषद् को, धारा 79 और 82 में निर्दिष्ट से भिन्न, उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले उन सभी अनुशासनिक मामलों पर, जो धारा 91 के अधीन उत्पन्न हों, परामर्श दे सकेगी।

धारा 90 में प्रत्ये जिले के लिए एक जिला स्थापन समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। इस समिति के सदस्य निम्नांकित व्यक्ति होंगे -

(क) जिला प्रमुख,

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एवं

(ग) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, एवं

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित कोई एक अधिकारी।

जिला प्रमुख इस समिति का अध्यक्ष होगा।

कार्य - जिला स्थापन समिति के मुख्यतया निम्नांकित कार्य होंगे -

(i) पंचायत समिति और जिला परिषद् में की सेवा में विद्यमान विभिन्न श्रेणियों और प्रवर्गों में के पदों के लिए चयन करना,

(ii) अस्थायी नियुक्ति के ढंग को विनियमित करना;

(iii) अस्थायी नियुक्ति की दशा में छः मास में आगे की वृद्धि के लिए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करना;

(iv) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की सूचियां तैयार करना; और

(v) अनुशासनिक मामलों पर परामर्श देना

91. पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ और उन पर अधिरोपित दण्ड:- (1) पंचायत समितियों और जिला परिषदों के, धारा 79 और 82 में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आरम्भ की जा सकने वाली कार्यवाहियों का संचालन और ऐसी कार्यवाहियों में से उन पर अधिरोपित किया जा सकने वाला दण्ड, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा षासितशऔर विनियमित होंगे।

(2) ऐसे नियमों के अधधीन,

(क) विहित सभी दण्ड या उनमें से कोई दण्ड, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं से पद धारण कर रहे सभी व्यक्तियों पर -

(i) पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा, यदि ऐसे व्यक्ति उस पंचायत समिति के कर्मचारी हों;

(ii) जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, यदि वे उस जिला परिषद् के कर्मचारी हों;

(iii) जहाँ ऐसी सेवाएं प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बद्ध हों, और ऐसी सेवाएं पंचायत समिति के नियन्त्रणाधीन हों, वहाँ पंचायत समिति के खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा; और

(iv) जहाँ ऐसी सेवाएं प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बद्ध हों और ऐसी सेवाएं जिला परिषद् के नियंत्रणाधीन हो, वहाँ जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा;}

(ख) परिनिंदा या वेतन-वृद्धि या पदोन्नति रोकने का दण्ड, धारा 89 के अधीन गठित सेवा के काडर में सम्मिलित किये गये पदों पर नियुक्तियां धारण कर रहे सभी व्यक्तिय पर-

(i) किसी पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा, यदि ऐसे व्यक्ति उस पंचायत समिति के अधीन अपनी नियुक्ति धारण करते हों; और

(ii) जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, यदि वे उस जिला परिषद् के अधीन अपनी नियुक्ति धारण करते हों:

सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष के अनुमोदन से, अधिरोपित किया जा सकेगा।

(3) सभी अन्य विहित दण्ड, पंचायत समिति या जिला परिषद् में सेवा के काडर में सम्मिलित किये गये पदों पर नियुक्तियां धारण कर रहे व्यक्तियों पर जिला स्थापन समिति द्वारा अधिरोपित किये जा सकेंगे ।

(4) कोई अपील-

(क) {पंचायत समिति के विकास अधिकारी/खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी} द्वारा किये गये किसी आदेश के विरुद्ध, धारा 90 के अधीन गठित जिला स्थापन समिति को; और

(ख) जिला स्थापन समिति द्वारा उपधारा (3) के अधीन किये गये किसी आदेश के विरुद्ध, राज्य सरकार को;

की जा सकेगी ।

(5) कोई अपील, जिस आदेश के विरुद्ध वह की गयी है उस आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर-भीतर, उपधारा (4) के अधीन की जा सकेगी और ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए लगे समय को उक्त कालावधि से अपवर्जित किया जायेगा।

91-क. जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी की अनुशासनिक शक्तियां- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी-

(क) पंचायती राज संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में, चाहे वे ऐसी पंचायती राज संस्था द्वारा नियुक्ति किये गये हों या राज्य सरकार द्वारा, जिला कार्यक्रम समन्वयक को; और

(ख) पंचायती राज संस्था के ब्लाक और ग्राम स्तर पर, धारा 79 में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में, कार्यक्रम अधिकारी को, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य स्कीम के अधीन उन्हें समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कारित अवचार के संबंध में ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ करने और उन पर दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति होगी;

परन्तु इस उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा या हटाया जायेगा जब तक कि इस उपधारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति का नियुक्त प्राधिकारी न हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13, 14, 16, 17 और 18 इस धारा के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों और दण्ड पर ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो आवश्यक हों, जिसमें यह उपांतरण सम्मिलित है

कि उसमें नियुक्ति प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश के प्रति अर्थान्वयन में जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी के प्रति निर्देश सम्मिलित होगा।

(3) (क) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक को; और

(ख) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को ;

अपील की जा सकेगी।

(4) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उस आदेश की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर-भीतर उपधारा (3) के अधीन अपील की जा सकेगी और ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगा समय उक्त कालावधि में से अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, नियुक्ति प्राधिकारी को और ऐसे अधिकारी को जिसके अधीनस्थ वह अधिकारी या कर्मचारी है जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है तुरन्त पृष्ठांकित किया जायेगा और उसे संसूचित किया जायेगा और ऐसा वरिष्ठ अधिकारी ऐसे आदेश को निष्पादित करने के लिए आबद्ध होगा।

(6) संदेहों के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की किसी भी बात का अर्थान्वयन, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन किसी भी अन्य अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियों को कम करने के लिए नहीं किया जायेगा, तथापि, यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ की गयी हो या की गई हो तो उन्हीं तथ्यों या आचरण के आधार पर किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं की जायेगी या नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

i. "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) में यथा परिभाषित जिला कार्यक्रम समन्वयक अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी स्कीम में या उसके अधीन इस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी सम्मिलित है।

ii. "कार्यक्रम अधिकारी" से, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) में यथा परिभाषित कार्यक्रम अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में या उसके अधीन इस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी सम्मिलित है।

iii. "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" से, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम अभिप्रेत है।

अध्याय-4

राज्य सरकार आदि की शक्तियां

92. किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलंबित करने की शक्ति:- (1) राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन संबंधी समस्त विषयों के बारे में मुख्य पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक प्राधिकारी होगी और किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या आदेश को लिखित आदेश द्वारा

रद्द कर सकेगी, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प, विधितः पारित नहीं किया गया हो या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रदत्त शक्तियों के बाहर या दुरुपयोग में किया गया हो, या उसके निष्पादन से मानव जीवन, व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा या संपत्ति को खतरा कारित होने की संभावना हो या शांति भंग होने की संभावना हो ।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन कार्रवाई करने से पहले, संबंधित पंचायती राज संस्था को स्पष्टीकरण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी।

(3) यदि कलक्टर की राय में किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को इस आधार पर निलंबित किये जाने के लिए तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो कि उसके निष्पादन से मानव जीवन, व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा या संपत्ति को खतरा कारित होने की संभावना है या शांति भंग होने की संभावना है तो वह संकल्प के सम्बन्ध में किसी अन्तिम विनिश्चय के लिए राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट करते समय, लिखित आदेश द्वारा संकल्प को निलम्बित कर सकेगा यदि वह किसी पंचायत या किसी पंचायत समिति का हो।

93. पंचायती राज संस्था के व्यतिक्रम करने पर कर्तव्यों के पालन की व्यवस्था करने की शक्ति:- (1) इस बात की शिकायत किये जाने पर या अन्यथा यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई पंचायती राज संस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम करने की दोषी रही है तो वह सम्यक् जांच के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, उस कर्तव्य के पालन की कालावधि नियत कर सकेगी, और संबंधित पंचायती राज संस्था को ऐसे आदेश से तत्काल संसूचित कर दिया जायेगा।

(2) यदि उक्त कर्तव्य का पालन ऐसी नियत कालावधि के भीतर-भीतर नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, उसके पालन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि ऐसे कर्तव्य के पालन में उपगत व्यय के साथ-साथ उसके पालन के लिए नियुक्त व्यक्ति को युक्तियुक्त पारिश्रमिक का संदाय संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा तत्काल किया जायेगा ।

(3) यदि व्यय और पारिश्रमिक का इस प्रकार संदाय नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, संबंधित पंचायती राज संस्था की निधि के अतिशेष की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को, व्ययों और पारिश्रमिक या उनके ऐसे भाग के संदाय के लिए, जो उस अतिशेष से संभव हो, निदिष्ट करने के आदेश दे सकेगी।

94. किसी पंचायती राज संस्था को भंग करने की सरकार की शक्ति:- यदि किसी समय सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई पंचायती राज संस्था, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या अन्यथा, विधि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में सक्षम नहीं है या उनके पालन में बार-बार व्यतिक्रम करती है, या अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गयी है या उसने उनका दुरुपयोग किया है तो सरकार, राज-पत्र में कारणों सहित प्रकाशित आदेश द्वारा, पंचायती राज संस्था को अक्षम या व्यतिक्रमी या ऐसी जो अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गयी है या, यथास्थिति, जिसने उनका दुरुपयोग किया है, घोषित कर सकेगी, और ऐसी पंचायती राज संस्था का विघटन, विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से कर सकेगी;

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक पंचायती राज संस्था को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और सुने जाने का, यदि पंचायती राज संस्था ऐसा चाहे, युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण :- यदि किसी कारण से, किसी पंचायती राज संस्था में रिक्तियों की संख्या कुल स्थानों की संख्या के दो-तिहाई से अधिक है तो पंचायती राज संस्था, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं समझी जायेगी ।

95. विघटन के परिणाम:- (1) जब कोई पंचायती राज संस्था इस अधिनियम के अधीन विघटित कर दी जाये तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे:-

(क) पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य विघटन की तारीख को अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे किन्तु इससे पुनर्निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति की उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) पंचायती राज संस्था की समस्त शक्तियों का प्रयोग और समस्त कर्तव्यों का निर्वहन विघटन की कालावधि के दौरान ऐसे प्रशासक द्वारा किया जावेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे; और

(ग) पंचायती राज संस्था में निहित सारी सम्पत्ति विघटन की कालावधि के दौरान सरकार में निहित होगी

(2) यदि धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में विहित समय के भीतर किसी पंचायती राज संस्था को, सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के किसी भी साधारण निर्वाचन और उस पर की पारिणामिक कार्यवाहियों पर किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा कोई भी रोक लगा दिये जाने के कारण पुनर्गठित करना सम्भव न हो तो उसके उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट परिणाम होंगे।

(3) धारा 94 के अधीन किया गया विघटन का कोई आदेश, उसके कारणों के कथन के साथ, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखा जाये

95-क. प्रशासकों के बारे में अन्तःकालीन उपबन्ध - इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी , संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम ,1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को किसी पंचायती राज संस्था की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा कोई प्रशासक ऐसा 31 मार्च, 1995 तक या अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कराये गये प्रथम निर्वाचन के पश्चात् संबंधित पंचायती राज संस्था का गठन किये जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, करता रहेगा।

96. अधिशेष निधियों को विनिहित करने की शक्ति:- किसी पंचायती राज संस्था के लिए, अपने पास की ऐसी किन्हीं भी अधिशेष निधियों को राज्य सरकार की मंजूरी से पंचायत, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् के नाम में लोक प्रतिभूतियों में विनिहित करना विधिपूर्ण होगा जो चालू प्रभारों के लिए अपेक्षित नहीं हों।

97. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति:- (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी;

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश के निष्पादन पर, उसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तक, रोक लगा सकेगी।

(3) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर-भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो। उपधारा (1) के परन्तुक और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंध इस उपधारा के अधीन की कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

97-क. अपीलें - (1) इस अधिनियम के अधीन या तद्दीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन किये गये या जारी किये गये पंचायत समिति के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार किये गये आदेश या निदेश के विरुद्ध अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद् को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अपील कर सकेगा और उक्त कालावधि की संगणना में उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन या तद्दीन बनाये गये किसी नियमों के अधीन किये गये या जारी किये गये जिला परिषद् के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार किये गये आदेश या निदेश के विरुद्ध अधिकारिता रखने वाली खण्ड आयुक्त को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अपील कर सकेगा और उक्त कालावधि की संगणना में उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित किया जायेगा।

98. शक्तियों आ प्रत्यायोजन:- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -

(क) इस अधिनियम के अधीन की अपनी समस्त या कोई भी शक्ति अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, और

(ख) इस अधिनियम के अधीन की पंचायतों के प्रभारी अधिकारी की समस्त या कोई भी शक्तियाँ किसी भी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को-

प्रत्यायोजित कर सकेगी।

99. सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति:- पंचायतों के प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित हैं या इसके अधीन विहित किये जायें, राज्य सरकार, पंचायतों के लिए किसी प्रभारी अधिकारी को ऐसे पदाभिधान से, जो वह समय समय पर अधिसूचित करे और ऐसे अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

100. राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण और जांच. - राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी-

(क) किसी पंचायती राज संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा उपयोग में ली जा रही या अधिमाक्त किसी भी स्थावर सम्पत्ति या ऐसी पंचायती राज संस्था के निदेशाधीन चालू कार्य का निरीक्षण कर या कर सकेगा;

(ख) किसी पंचायती राज संस्था के कब्जे में की या उसके नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक या दस्तावेज को किसी लिखित आदेश द्वारा मंगा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा;

(ग) इसी प्रकार किसी पंचायती राज संस्था से ऐसी पंचायती राज संस्था की कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बन्धित ऐसे विवरण, रिपोर्ट या दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उचित समझे;

(घ) किसी पंचायती राज संस्था के विचार के लिए ऐसा कोई सम्प्रेक्षण लेखबद्ध कर सकेगा जिसे वह ऐसी पंचायती राज संस्था की कार्यवाहियों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में समुचित समझता है; और

(ङ) किसी पंचायती राज संस्था के किसी भी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसी पंचायती राज संस्था से संबंधित किसी विषय के सम्बन्ध में कोई जांच संस्थित कर सकेगा।

101. किसी पंचायती राज संस्था की सीमाओं में परिवर्तन:- (1) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त किये गये निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा-

(क) किसी भी ऐसे सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके भाग को, जो किसी नगरपालिका की सीमा के भीतर सम्मिलित है, किसी कोई पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी; या

(ख) किसी भी ऐसे स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भी भाग को या, यथास्थिति, किसी अन्य पंचायत सर्किल की सीमाओं के भीतर सम्मिलित किसी भी स्थानीय क्षेत्र को किसी पंचायत सर्किल में सम्मिलित कर सकेगी; या

(ग) किसी पंचायत सर्किल की सीमाओं को, किसी एक पंचायत सर्किल का किसी अन्य पंचायत सर्किल में समामेलन करके या किसी पंचायत सर्किल को दो या अधिक पंचायत सर्किलों में विभाजित करके, अन्यथा परिवर्तित कर सकेगी; या

(घ) किसी पंचायत सर्किल से किसी सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके भाग को, चाहे उसका कोई ग्रामीण क्षेत्र होना समाप्त होने पर, या यथास्थिति, उसके किसी अन्य पंचायत सर्किल की सीमाओं के भीतर सम्मिलित किये जाने के परिणामस्वरूप, अपवर्जित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी कार्रवाई किये जाने पर राज्य सरकार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी, अर्थात्-

(क) कि, उस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन आने वाले किसी मामले में, किसी पंचायत सर्किल के रूप में घोषित स्थानीय क्षेत्र के लिए एक पंचायत की स्थापना; या

(ख) कि, उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले किसी मामले में, अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन; या

(ग) कि, उस उप-धारा के खण्ड (ग) के अधीन आने वाले किसी मामले में, विद्यमान पंचायतों का विघटन और नयी पंचायतों का गठन, नियत दिन के छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा; या

(घ) कि, खण्ड (घ) के अधीन आने वाले किसी मामले में, पंचायत विघटित हो जायेगी या, यथास्थिति, वे सदस्य जो राज्य सरकार की राय में, पंचायत सर्किल से अपवर्जित स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हटाये हुए माने जायेंगे:

परन्तु जब तक खण्ड (क) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन कोई पंचायत या कोई नयी पंचायत स्थापित नहीं हो जाती है, पंचायत की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसे प्रशासक द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये;

परन्तु यह और कि पंचायत का कोई भी कार्य खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्यों की किसी भी रिक्ति के कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

(3) किसी नगरपालिका के किसी भी स्थानीय क्षेत्र का अपवर्जन हो जाने पर और उसके उपधारा (1) के अधीन पंचायत सर्किल के रूप में घोषित कर दिये जाने पर या, यथास्थिति, उसमें सम्मिलित कर लिये जाने पर,-

(क) ऐसा क्षेत्र नगरपालिका नहीं रह जायेगा;

(ख) नगरपालिका के, इस प्रकार घोषित या किसी पंचायत सर्किल में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्य अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे किन्तु इससे ऐसे क्षेत्र के लिए गठित की जाने वाली पंचायत या यथास्थिति, उस पंचायत, जिसके क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, के लिए गठित की जाने वाली पंचायत के लिए निर्वाचन की उनकी पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) किसी पंचायत के रूप में इस प्रकार घोषित नगरपालिका में निहित समस्त शक्तियाँ और उसके विरुद्ध विद्यमान समस्त दायित्व या जहाँ नगरपालिका का केवल कोई भाग पंचायत में सम्मिलित किया गया है या पंचायत के रूप में घोषित किया गया है वहाँ ऐसी आस्तियों और दायित्वों का ऐसा भाग, जो राज्य सरकार निदिष्ट करे, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित पंचायत में या ऐसी पंचायत में, जिसमें नगरपालिका का ऐसा कोई क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, न्यायगत होगा;

(घ) जब तक इस अधिनियम के अधीन नये नियम, अधिसूचनाएँ, आदेश और उप-विधियाँ बनायी या जारी नहीं की जातीं और जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश नहीं दे देती, तब तक वे समस्त नियम, अधिसूचनाएँ, आदेश और उप-विधियाँ जो-

(i) उस पंचायत पर, जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है; और

(ii) जहाँ कोई सम्पूर्ण नगरपालिका या उसका कोई भाग पंचायत घोषित कर दिया जाता है वहाँ उस पंचायत समिति के क्षेत्र पर, जो सम्बन्धित क्षेत्र के ऐसी पंचायत समिति के खण्ड में पड़ने के कारण पंचायत क्षेत्र के रूप में इस प्रकार घोषित क्षेत्र पर अधिकारिता रखेगी;

लागू हैं, इस प्रकार सम्मिलित या घोषित किये गये क्षेत्र पर लागू बनी रहेंगी;

(ड) किसी नगरपालिका के किसी भी क्षेत्र के पंचायत में सम्मिलित किये जाने से या किसी नगरपालिका के पंचायत के रूप में घोषित किये जाने से इस प्रकार स्थापित पंचायत ऐसे कर उद्गृहीत करेगी या करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक अधिरोपित किये जाते हैं;

(च) ऐसा कोई भी क्षेत्र राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन बनाये गये समस्त नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और उपविधियों के अध्यधीन होना बंद हो जायेगा; और

(छ) ऐसी पंचायत, जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है या ऐसी पंचायत, जो ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित की जाती है और क्रमशः ऐसे खंड और जिले की पंचायत समिति और जिला परिषद् जिसमें इस प्रकार सम्मिलित या घोषित किया गया क्षेत्र आता है, ऐसा क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसी नगरपालिका, जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित था या, यथास्थिति, ऐसी नगरपालिका, जो ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित की गयी थी, उसमें कृत्य करना बंद कर देगी।

(4) जब कोई भी स्थानीय क्षेत्र पंचायत नहीं रहे और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता की स्थानीय सीमा में सम्मिलित कर लिया जाये तो पंचायत निधि और पंचायत में निहित अन्य सम्पत्ति और अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और पंचायत के दायित्व ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व हो जायेंगे।

(5) जब कोई स्थानीय क्षेत्र किसी एक पंचायत सर्किल से अपवर्जित कर दिया जावे और किसी अन्य पंचायत सर्किल में सम्मिलित कर दिया जाये तो प्रथमतः वर्णित सर्किल की पंचायत में निहित पंचायत निधि और अन्य सम्पत्ति अन्य पंचायत में निहित हो जायेगी और उसके दायित्वों के ऐसे प्रभाग अन्य पंचायत के दायित्व बन जायेंगे जो राज्य सरकार दोनों पंचायतों के परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करें;

परन्तु इस उपधारा के उपबंध ऐसे किसी भी मामले पर लागू नहीं होंगे, जिसमें राज्य सरकार की राय में, परिस्थितियां पंचायत निधि या सम्पत्तियों या दायित्वों के किसी भी प्रभाग के अंतरण को अनपेक्षित बना दें।

{(5क) उपधारा (1) के अधीन की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा जब ऐसा करना आवश्यक समझा जाये तो राज्य सरकार किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी और परिवर्तन के ऐसे प्रत्येक मामले में पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।}

(6) राज्य सरकार, पूर्वगामी उप-धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे आदेश और निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(7) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इसके उपबंध इस अधिनियम या {राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38)} या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण - इस धारा में "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जिससे उपधारा

(1) में निर्दिष्ट कोई परिवर्तन होता है।

102. नियम बनाने की शक्ति:- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए बनाये जा सकेंगे :-

(क) सम्पूर्ण राजस्थान राज्य या उसके किसी भाग के लिए या समस्त या किसी भी पंचायती राज संस्था के लिए;

(ख) ऐसे किसी भी विषय के लिए उपबंध करने के लिए, जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन स्पष्टतः या विवक्षित रूप से उपबंध करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त की गयी है;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित किसी भी विषय में पंचायती राज संस्था के और राज्य सरकार के कर्मचारियों और प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी भी दस्तावेज के या इस अधिनियम के अधीन या प्रयोजन के लिए रखे गये किसी भी अभिलेख के निरीक्षण और तलाशी के लिए और ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को प्रतियां या उनके उद्धरण देने के लिए फीस उदगृहीत के लिए और ऐसी फीस के मापमान के लिए उपबंध करने के लिए।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों चौदह दिन से अन्दर की किसी कालावधि के लिए जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, जायेंगे और यदि उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं

या उसके ठीक अगले सत्र अवसान से पूर्व सदन ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेंगे तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकार से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

103. जिला परिषद् की उपविधियां बनाने की शक्ति - (1) जिला परिषद् किसी भी पंचायत के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से सुसंगत उप-विधियाँ ऐसी पंचायत की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा को प्रोन्नत करने और बनाये रखने के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन पंचायतों के प्रशासन को और आगे बढ़ाने के लिए बना सकेगी और जब राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये तो बनायेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनायी गयी समस्त उपविधियाँ राज-पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

104. पंचायतों की उपविधियां विचरित करने की शक्ति - (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए कोई पंचायत धारा 103 के अधीन बनायी गयी उपविधियों से सुसंगत कोई उपविधियाँ -

(क) किसी भी ऐसे स्रोत से, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना हो, जल को पीने के प्रयोजनार्थ हटाने या उपयोग में लेने को प्रतिषिद्ध करने के लिए और ऐसी कोई भी बात करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए जिससे पेयजल के किसी भी स्रोत के दूषित होने की संभावना हो,

(ख) किसी भी नाली या परिसर से किसी सार्वजनिक सड़क पर या किसी नदी, तालाब, पोखर, कुएं या किसी भी अन्य स्थान में जल के निस्तारण को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए,

(ग) सार्वजनिक सड़क और पंचायत की सम्पत्ति को होने वाली क्षति को निवारित करने के लिए,

(घ) अपने पंचायत सर्किल में स्वच्छता, मय-सफाई और नाली प्रणाली को विनियमित करने के लिए,

(ङ) दुकानदारों या अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़क या अन्य स्थलों के उपयोग को प्रतिषिद्ध और विनियमित करने के लिए और सार्वजनिक सड़कों पर बाजार-करों के संग्रहण को विनियमित करने के लिए,

(च) उस रीति को विनियमित करने के लिए जिसमें पोखर, तालाब, चह-बच्चे, चरागाह, खेल के मैदान, खाद के गड्ढे, शवों के निर्वर्तन की भूमि और स्नान के स्थान संधारित किये और उपयोग में लिए जायेंगे,

(छ) मृत पशुओं के शवों के निर्वर्तन को विनियमित करने के लिए,

(ज) मांस या मछली और मदिरा के विक्रय के लिए उपयोग के स्थानों को विनियमित करने के लिए,

विरचित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पंचायत द्वारा विरचित की जाने वाली उप-विधियों का प्रारूप विहित रूति से प्रकाशित किया जायेगा और उस पर प्राप्त किन्हीं भी आक्षेपों पर पंचायत की बैठक में विचार किया जायेगा, जिसके पश्चात् उप-विधियाँ, उन पर प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, और उन पर लिये गये विनिश्चयों सहित जिला परिषद को प्रस्तुत की जायेगी। जिला परिषद द्वारा मंजूर की गयी उप-विधियाँ उनका राज-पत्र में प्रकाशन होने पर प्रवृत्त होंगी।

105. पंचायत समिति और जिला परिषद की उप-विधियाँ बनाने की शक्ति - (1) कोई पंचायत समिति या जिला परिषद समय-समय पर, उन प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, जिनके लिए वह गठित की गई हैं, ऐसी उप-विधियाँ बना सकेगी जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में असंगत न हों।

(2) किसी पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा बनायी गयी कोई भी उप-विधियाँ तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक वे राज्य सरकार द्वारा मंजूर न कर ली जायें।

(3) राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गयी उप-विधियाँ उनका राज-पत्र में प्रकाशन होने पर प्रवृत्त होंगी।

106. नियमों और उप-विधियों का अतिलंघन:- इस अधिनियम के अधीन कोई नियम या उपविधि बनाते समय नियम या उप-विधि बनाने वाला प्राधिकारी यह भी उपबन्ध कर सकेगा कि उसका कोई भंग ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा और जब भंग जारी रहने वाला हो तो ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् के उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी को अपराध किया हुआ साबित किया जाता है, दस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

107. विवाद - (1) यदि दो पंचायती राज संस्थाओं के बीच या किसी एक पंचायती राज संस्था और किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच कोई विवाद खड़ा हो तो उसे राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा।

(2) ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे किसी भी सिविल न्यायालय में किसी भी वाद या अन्य कार्यवाहियों के जरिये प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

107-क. भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बन्धन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति - (1) कोई भी व्यक्ति किसी गाँव के किसी भी आबादी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए ऐसी भूमि राज्य सरकार, किसी पंचायत, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आवंटित या विक्रीत की गयी थी, या किसी विकास योजना, जहाँ कहीं भी वह प्रवर्तन में हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) ऐसे किसी भूमि के मामले में जो यथापूर्वोक्त रूप से आवंटित या विक्रीत नहीं की गयी है और उप-धारा (1) के अन्तर्गत नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति, किसी गाँव के आबादी क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिए ऐसी भूमि का उपयोग राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 3) के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किया जा रहा था।

(3) उप-धारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी किसी ऐसी भूमि के स्वामी या धारक को उसके उपयोग में परिवर्तन करने के लिए, यदि लोकहित में ऐसा करने का उसका समाधान हो जाता है, तो ऐसी दरों पर संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर और पड़ोसियों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, आक्षेप आमंत्रित करने और उनके सुनने के पश्चात् उपयोग में निम्नलिखित परिवर्तन के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात्:-

- (i) आवासीय से वाणिज्यिक से कोई भी अन्य प्रयोजन, या
- (ii) वाणिज्यिक से कोई भी अन्य प्रयोजन, या
- (iii) औद्योगिक से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन, या
- (iv) सिनेमा वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन, या
- (v) होटल से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन, या
- (vi) पर्यटन से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन, या
- (vii) संस्थागत से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन, या

परन्तु संपरिवर्तन की दरें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेंगी।

(4) जहाँ राज्य सरकार या उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा या नियमितिकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था, आवेदन नहीं किया है और ऐसी अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है या भूमि के उपयोग का नियमितिकरण किया जा सकता है तो वह सम्यक प्रभारों के अवधारण के लिए अग्रसर होगा और ऐसे प्रभार, जो विहित किये जायें, पंचायत को शोध्य हो जायेंगे और उपधारा (6) के अधीन वसूलनीय होंगे।

(5) इस प्रकार वसूल किये गये संपरिवर्तन प्रभार पंचायत की निधि में जमा किये जायेंगे।

(6) इस धारा के अधीन प्रभार, ऐसे भूमि के संबंध में, जिसका उपयोग परिवर्तन किया गया है, ऐसे प्रभारों को संदत्त करने के दायी व्यक्ति के हित पर प्रथम प्रभार होगा, और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।

107-ख. भूखण्डों के उप-विभाजन या पुनर्गठन के लिए अनुज्ञा चाहने हेतु बाध्यता- (1) कोई भी व्यक्ति, किसी गांव के आबादी क्षेत्र में स्थित एक भूखण्ड की भूमि या उप-विभाजन या पुनर्गठन, राज्य सरकार या इसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा, ऐसी रीति से, ऐसे प्रभारों के संदाय पर, और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, मंजूर की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन वसूल किये गये प्रभार पंचायत की निधि में जमा किये जायेंगे।

(4) इस धारा के अधीन प्रभार, ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका उप-विभाजन या पुनर्गठन अनुज्ञात किया गया है, ऐसे प्रभारों को संदत्त करने के दायी व्यक्ति के हित पर प्रथम प्रभार होगा, और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।

107-ग. कतिपय भूमियों के पट्टे की मंजूरी:- (1) कोई भी व्यक्ति जिसका किसी गांव के आबादी क्षेत्र के भीतर-भीतर किसी भी भूमि पर, राज्य सरकार या पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी पट्टे, लीज या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा, विधिपूर्ण कब्जा है. ऐसी भूमि के संबंध में उस पंचायत से विहित रीति से पट्टा प्राप्त कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन फाईल किया गया है, वहां पंचायत, जन सामान्य से विहित रीति से आक्षेप आमंत्रित करेगी और उन सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने ऐसे आवेदन के विरुद्ध आक्षेप फाईल किये हैं, और आवेदक को विहित रीति से सुनेगी।

(3) यदि, उन व्यक्तियों को, जिन्होंने उप-धारा (2) के अधीन आक्षेप फाईल किये हैं, और आवेदक को सुनने के पश्चात् पंचायत का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक इस धारा के अधीन पट्टा प्राप्त करने का हकदार है तो यह आवेदक द्वारा ऐसी फीस या प्रभार, जो विहित किये जाये, संदत्त किये जाने पर ऐसे व्यक्ति की विहित प्ररूप में और रीति से ऐसी भूमि का पट्टा मंजूर कर सकेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन मंजूर किया गया पट्टा, उन सभी प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अधधीन होगा जो उस भूमि से संबद्ध थे और ऐसे पट्टे की मंजूरी के ठीक पहले विद्यमान थे।

107-घ. कतिपय भूमियों का व्ययन :- (1) कोई भी नजूल भूमि या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 92 के अधीन आबादी के विकास के लिए पृथक रखी गयी भूमि उक्त अधिनियम की धारा 102-क के अधीन पचावल के व्यसन पर रखी जाती है तो उस पंचायत द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित करे. और ऐसी रीति से जो समय-समय पर विहित की जाये, व्ययनित की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सन्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उक्त उप-

धारा में निर्दिष्ट कोई भूमि या उसका कोई भी भाग. राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, व्ययनित किया जा सकेगा।

107-ड. आबंटन, विक्रय या अन्य अंतरण का किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए होना. - राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2015 (2015 का अधिनियम सं. 28) के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी गांव के आबादी क्षेत्र में भूमि का प्रत्येक आबंटन, विक्रय या अन्य अंतरण विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए किया जायेगा और ऐसे उपयोग को स्पष्ट रूप से और सदैव, ऐसे आबंटन, विक्रय या अन्य अंतरण को साक्षित करने वाले पट्टे या अन्य दस्तावेज में उल्लिखित किया जायेगा।

107-च आबादी भूमि के अमिथकाचा द्वारा तैयार किल्या जाना और संधारित किया जाना :- प्रत्येक पंचायत उस पंचायत क्षेत्र के भीतर- भीतर स्थित आबादी भूमि का अभिलेख ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में तैयार और संधारित करेगी, जो विहित किया जाये।

107-छ इस अध्याय का अध्यारोही प्रभाव होना:- इस अधिनियम में अन्यत्र या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का अधिनियम सं. 15) या किसी भी अन्य राजस्थान विधि में किसी बात के होते हुए भी. इस अध्याय के उपबंध प्रभावी होंगे।

107-ज. व्यावृत्ति:- इस अध्याय में की कोई भी बात राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का. अधिनियम सं. 3) की धारा 31 के द्वारा अभिधारियों को किसी गांव के आबादी क्षेत्र में प्रभार से स्वतंत्र आवास गृह के लिए स्थान रखने के प्रदत्त अधिकार को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी, नहीं छीनेगी या कम नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण:- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-

(i) "विकास योजना" से कोई स्थानिक योजना, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;

(ii) "आबादी", "आबादी क्षेत्र" या "आबादी भूमि" का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 103 के खण्ड (ख) में समनुदेशित किया गया है, और

(iii) "नजूल भूमि" का वही अर्थ होगा जो इसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 3 के खण्ड (iख) में समनुदेशित किया गया है।

108. सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे:- किसी पंचायती राज संस्था और उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

109. पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के विरुद्ध वाद आदि:- (1) किसी पंचायती राज संस्था के विरुद्ध या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या किसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य सिविल कार्यवाही-

(क) तब तक संस्थित नहीं की जायेगी जब तक कि वाद हेतुक, आशयित वादी के नाम और निवास स्थान और उस अनुतोष की प्रकृति का, जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाला लिखित नोटिस उसके कार्यालय पर परिदत्त कर दिये या छोड़ दिये जाने के या यथापूर्वोक्त किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति कर दिये या छोड़ दिये जाने के, पश्चात् दो मास समाप्त न हो गये हों; और वाद में, ऐसे प्रत्येक मामले में, ये कथन अंतर्विष्ट होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया या छोड़ दिया गया है; या

(ख) यदि वह स्थावर संपत्ति की वसूली के लिए या उसके हक की किसी घोषणा के लिए कोई वाद न हो, तो, अभिकथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के पश्चात् के छह मास के भीतर से अन्यथा संस्थित नहीं की जायेगी ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस, जब वह किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के लिए आशयित हो तो क्रमशः सरपंच, विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सम्बोधित होगा।

110. अपराधों के और पंचायतों को सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ और कर्तव्य - प्रत्येक पुलिस अधिकारी, उसकी जानकारी में आने वाले ऐसे अपराधों की, जो अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी भी नियम या उप-विधि के विरुद्ध किया गया हो, सूचना तत्काल पंचायत को देगा और पंचायत के समस्त पंचों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता करेगा।

111. पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का दायित्व - (1) पंचायती राज संस्था का प्रत्येक सदस्य, जिसमें उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सम्मिलित है, ऐसा पंचायती राज संस्था के प्रति, जिसका वह ऐसा सदस्य या, यथास्थिति, ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, ऐसी पंचायती राज संस्था के किसी भी धन या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुरुपयोजन या दुर्व्यय के लिए दायित्वाधीन होगा, यदि ऐसी हानि दुरुपयोजन या दुर्व्यय ऐसे सदस्य या, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद पर रहते हुए उसकी उपेक्षा या अवचार का सीधा परिणाम हो।

(2) जब कभी, किसी पंचायती राज संस्था द्वारा की गयी शिकायत पर या अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी भी ऐसे सदस्य या, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने पंचायती राज संस्था के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुरुपयोजन या दुर्व्यय कारित किया है या, किया है तो संक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पद्धारी को उसके

विरुद्ध किये गये अभिकथनों का नोटिस देगा और उससे उस तारीख और समय पर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, उपस्थित होने और उसके विरुद्ध किये गये अभिकथनों के उत्तर में लिखित कथन फाइल करने की अपेक्षा करेगा।

(3) यदि सदस्य या, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपस्थित होने पर अपने दायित्व और उसकी रकम को स्वीकार करता है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे सदस्य या, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से ऐसे दायित्व की रकम की वसूली के लिए आदेश पारित करेगा ।

(4) यदि सदस्य या, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने दायित्व या उसके परिमाण के लिए विवाद करता है तो सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अभिकथनों के समर्थन में साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् और सम्बन्धित पदधारी को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने और प्रतिज्ञा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए ऐसे पदधारी के दायित्व के परिमाण और रकम का अवधारण करेगा ।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (4) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से, जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आदेश से संसूचित किया गया है, तीस दिन के भीतर-भीतर राज्य सरकार को उसकी अपील कर सकेगा और राज्य सरकार हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी या मामला सक्षम प्राधिकारी को ऐसी और जांच, जो वह उचित समझे, करने के लिए प्रेषित कर सकेगी।

(6) वह पंचायती राज संस्था जिसके प्रति ऐसा सदस्य या, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दायित्वाधीन है, इस धारा के अधीन की किसी जांच में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उप-धारा (5) के अधीन किसी अपील में राज्य सरकार के समक्ष पक्षकार होगी और समझी जायेगी।

(7) इस धारा के अधीन कोई जांच करने या अपील सुनने वाले सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार को-

(क) शपथपत्रों द्वारा तथ्यों के सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और उसकी शपथपूर्वक परीक्षा;

(ग) दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण; और

(घ) कमीशन जारी करने-

के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन की किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।

(8) उप-धारा (3) के अधीन वसूल किये जाने के लिए आदिष्ट या उप-धारा (4) के अधीन अवधारित किसी दायित्व की रकम सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा ऐसे सदस्य या, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीयत होगी ।

(9) किसी भी ऐसे विषय में, जिसका इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाना, अवधारित किया जाना या निपटाया जाना अपेक्षित है, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी और सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्रुत नहीं किया जायेगा।

112. विधिक प्रतिनिधित्व का वर्जन:- किसी पंचायती राज संस्था के समक्ष की किसी सिविल कार्यवाही का कोई भी पक्षकार, अधिकार के रूप में, विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

113. नोटिस की विधिमान्यता:- इस अधिनियम के अधीन जारी कोई भी नोटिस उसके प्ररूप की त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगा ।

114. पंचायतों द्वारा प्रवेश और निरीक्षण :- किसी पंचायत का सरपंच और, यदि इस निमित्त प्राधिकृत हो तो, उसका कोई भी पंच, अधिकारी या कर्मचारी, किसी भवन या भूमि में या उस पर, सहायकों या कर्मचारियों के सहित या रहित, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे कार्य को, जिसे निष्पादित करने या करने के लिए कोई पंचायत इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत है, जिसका किया या निष्पादित किया जाना किसी पंचायत के लिए इस अधिनियम के या उसके अधीन के नियमों के उप विधियों के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए या किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसार आवश्यक है करने या निष्पादित करने की दृष्टि से, प्रवेश कर सकेगा;

परन्तु

(क) जब इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित हो, तब के सिवाय कोई भी ऐसा प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में नहीं किया जायेगा;

(ख) जब इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित हो, तब के सिवाय, ऐसे किसी भी भवन में, जो मानव-निवास के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उसके अधिभोगी की सहमति के सिवाय और उक्त अधिभोगी को ऐसा प्रवेश करने के आशय की पूर्ण सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा;

(ग) प्रत्येक स्थिति में पर्याप्त सूचना, महिलाओं के लिए काम में लिए जाने वाले किसी भी खण्ड के निवासियों को परिसर में के किसी ऐसे भाग में, जहां उनकी एकान्तता में विघ्न न पड़े, चले जाने में समर्थ बनाने के लिए तब भी दी जायेगी जब किसी परिसर में सूचना दिये बिना अन्यथा भी प्रवेश किया जा सकता हो; और

(घ) प्रवेश के परिसर के अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदैव सम्यक् सम्मान किया जायेगा।

115. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् स्थानों का अवधारण:- प्रत्येक जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन होने पर, किसी पंचायती राज संस्था के स्थानों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा, संबंधित पंचायती राज संस्था के क्षेत्र की उस जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी, जो उस जनगणना में अभिनिश्चित की गयी है:

परन्तु यथापूर्वोक्त संख्या के अवधारण से, संबंधित पंचायती राज संस्था की तब की संरचना पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उसमें उस समय पदासीन निर्वाचित सदस्यों की पदावधि समाप्त नहीं हो जाती।

116. साधारण निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए यानों इत्यादि की अध्यक्ष - यदि कलक्टर को ऐसा प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले साधारण निर्वाचनों के संबंध में कोई भी यान, जलयान या पशु किसी भी मतदान केन्द्र से या उस तक मत पेटियों के परिवहन के, या ऐसे निर्वाचन के किये जाने के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के, या किसी ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के परिवहन के, प्रयोजनार्थ आवश्यक है या आवश्यक होना संभाव्य है तो कलक्टर लिखित आदेश द्वारा ऐसे यान, जलयान या, यथास्थिति, पशु की अध्यक्ष कर सकेगा और ऐसे और आदेश कर सकेगा जो उसे अध्यक्ष किये जाने के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु ऐसे किसी भी यान, जलयान या पशु की, जो किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी प्रयोजन के लिए विधिपूर्वक काम में लिया जा रहा है, अध्यक्ष में इस उप-धारा के अधीन जब तक नहीं की जायेगी जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान पूरा न जाये ।

(2) अध्यक्ष कलक्टर द्वारा यान, जलयान या पशु के स्वामी या उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति के रूप में समझे गये व्यक्ति को सम्बोधित किसी लिखित आदेश द्वारा की जायेगी और ऐसा आदेश उस व्यक्ति पर जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति से तामील कराया जायेगा ।

(3) जब कभी किसी यान, जलयान या पशु की उप-धारा (1) के अधीन अध्यक्ष की जाये तो ऐसी अध्यक्ष उस कालावधि के परे की नहीं होगी जिसके लिए वह उस उप-धारा में लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए भी अपेक्षित है।

(4) जब भी कलक्टर किसी यान, जलयान या पशु की अध्यक्षता करे तो उसके स्वामी को राज्य की संचित निधि में से प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम कलक्टर के द्वारा, ऐसे यान, जलयान या पशु के भाड़े के लिए परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर अवधारित की जायेगी:

परन्तु, जहां ऐसे यान, जलयान या पशु का स्वामी इस प्रकार अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होकर कोई आवेदन विहित समय के भीतर-भीतर राज्य सरकार को करता है. वहां संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की रकम ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(5) जहां अध्यक्षता के ठीक पूर्व, यान या जलयान, किसी अवक्रम करार के कारण, स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो वहां उप-धारा (4) के अधीन, अध्यक्षता के संबंध में संदेय, कुल प्रतिकर के रूप में अवधारित रकम को उस व्यक्ति और स्वामी के बीच ऐसी रीति से जिसका वे करार करें, और करार के व्यतिक्रम में, ऐसी रीति से प्रभाजित किया जायेगा जो कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये।

(6) कलक्टर, किसी भी यान, जलयान या पशु की अध्यक्षता करने या इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने की दृष्टि से, आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति से ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसे यान, जलयान या, यथास्थिति, पशु से संबंधित उसके कब्जे में की ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो इस रूप में विनिर्दिष्ट की जाये।

(7) कलक्टर के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या किसी भी भूमि या परिसर में या पर के किसी भी यान, जलयान या पशु के संबंध में कोई आदेश उप-धारा (1) के अधीन किया जाये और यदि किया जाये तो किस रीति से, या इस धारा के अधीन किये गये किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसी भूमि या परिसर में या पर प्रवेश कर सकेगा और ऐसे यान, जलयान या पशु का निरीक्षण कर सकेगा।

(8) यदि कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन किये गये किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह इतनी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

117. कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जन. - इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

(क) इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित, निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों के परिसीमन से, या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों अथवा वार्डों के स्थानों के आवंटन से, संबंधित किसी भी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्रगत नहीं किया जायेगा; और

(ख) किसी भी पंचायती राज संस्था के किसी भी निर्वाचन को, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गयी किसी ऐसी निर्वाचन अर्जी के सिवाय, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित है, प्रश्रुत नहीं किया जायेगा।

117-क. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित -किसी भी सिविल न्यायालय को -

(क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार है या नहीं, ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की, अथवा

(ख) किसी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्राधिकार के द्वारा या अधीन की गयी किसी कार्यवाही की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्रुत करने की, अथवा

(ग) किसी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही की या किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्रुत करने की, अधिकारिता नहीं होगी।

118. वित्त आयोग :- (1) वित्त आयोग में, जिसे इस धारा में आगे आयोग कहा गया है, ऐसी रीति से चयनित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्य जो विहित की जाये:-

(क) ऐसे व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष जिन्हें लोक मामलों का अनुभव रहा है; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों में से जो-

(i) सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान रखते हों; या

(ii) वित्तीय विषयों में और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हों; या

(iii) पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिक निकायों के कृत्यकरण का विशेष ज्ञान रखते हों; या

(iv) ग्रामीण और नगरीय विकास कार्यक्रमों की तैयारी और/या क्रियान्वयन से निकट से सहबद्ध रहे हों-

चार से अनधिक इतने अन्य सदस्य जितने राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(2) कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य नियुक्त किये जाने या होने के लिए निरहित होगा यदि वह-

(क) विकृत चित्त का है;

(ख) कोई अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जा चुका है;

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जो आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर सम्भाव्यतः प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो ।

(3) सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति की पात्रता निम्नलिखित होगी -

(i) आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी कालावधि के लिए पद धारित करेगा जो उसे नियुक्त करने के सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, किन्तु पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा;

(ii) आयोग का कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर से लिखित और सरकार को संबोधित किसी पत्र द्वारा अपना पद-त्याग सकेगा किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाये; और

(पपप) खण्ड (पप) के अधीन किसी सदस्य के पद त्याग द्वारा या किसी भी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति नहीं नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी और इस रूप में नियुक्त कोई सदस्य उस शेष कालावधि तक ही पद धारित करेगा जिसके लिए वह सदस्य पदधारित करता जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

(4) आयोग के सदस्य आयोग को पूर्णकालिक या अंशकालिक ऐसी सेवा प्रदान करेंगे जो सरकार प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे और उन्हें ऐसी फीस या वेतन और ऐसे भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित करे।

(5) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों का पालन करने में उसे निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, (1908 का अधिनियम 5) के अधीन की किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् -

(क) साक्षियों को सम्मन करना और उन्हें हाजिर करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज का पता लगाने और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख की अध्यक्षता करना;

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई भी अन्य विषय, जो विहित किया जाये।

(6) आयोग को किसी भी व्यक्ति से, ऐसे किसी भी बिन्दु और विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में आयोग के विचाराधीन किसी भी विषय के लिए उपयोगी हों या उससे सुसंगत हों और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिससे इस प्रकार अपेक्षा की गयी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसी जानकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अर्थान्तर्गत देने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध समझा जायेगा।

(7) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) को धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(8) सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हों ।

(9) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

119. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द- (1) एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचक अधिकारी-

(क) इस अधिनियम के अधीन की राज्य में की समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा:

(ख) इस अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदिष्ट किये जायें।

(3) राज्य में के प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, सरकार, के परामर्श से सरकार के किसी अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा:

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक अधिकारियों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का पालन एक अधिकारी के द्वारा समाधानप्रद रूप से नहीं किया जा सकता ।

(4) जहां किसी जिले के लिए एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किये जायें वहां आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने के आदेश में वह क्षेत्र भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(5) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली, जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपांतरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जायेगी जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(6) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(7) सरकार, जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा निवेदन किया जाये तो राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसा कर्मचारिवृन्द उपलब्ध करायेगी जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहण के लिए आवश्यक हो ।

119-क. स्थानीय प्राधिकारियों आदि का कर्मचारिवृन्द का उपबंध किया जाना- (1) राज्य में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा ऐसी प्रार्थना किये जाने पर किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसा कर्मचारिवृन्द उपलब्ध करेगा जैसा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा ऐसा अपेक्षित किये जाने पर किसी भी रिटर्निंग अधिकारी को ऐसा कर्मचारिवृन्द उपबंध करेगा जैसा किसी निर्वाचन से संसक्त किन्हीं भी कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

(3) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे; अर्थात्

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी;

कोई भी अन्य निगमित निकाय या लोक उपक्रम, जो किसी राज्य अधिनियम या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाए या जो अन्यथा स्थापित किया जाए किन्तु राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया या सारतः नियंत्रण, सहायता प्राप्त या वित्तपोषित हो।

119-ख. अधिकारियों और कर्मचारिवृद्ध का राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझा जाना- इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धियां करने और उनका संचालन करने के संबंध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारिवृद्ध उस कालावधि में, जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृद्ध, उस अवधि के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण होंगे।

119-ग. कर्मचारिवृद्ध के लिए शास्ति - (1) जहां इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों से संसक्त या निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि से संसक्त कर्तव्यों के पालन के लिए तैनात किया गया कोई कर्मचारी कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है या ऐसे कर्तव्य पर उपस्थित होकर, उसे समनुदेशित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वहां वह ऐसी किसी कालावधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

120. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन:- इस अधिनियम या तद्विधित जारी किये गये नियमों या आदेशों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिये जायें, किसी उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा यदि कोई हो, या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा।

121. जिला आयोजन के लिए समिति - (1) सरकार जिले में की पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने के लिए और सम्पूर्ण जिले के लिए कोई एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजन समिति गठित करेगा जिसे इस धारा में आगे "समिति" कहा गया है।

(2) समिति में इतनी संख्या में सदस्य होंगे जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये और समिति के सदस्यों की कुल संख्या इस प्रकार नियत करने में, राज्य सरकार, क्रमशः नामनिर्दिष्ट सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों की संख्या विनिर्दिष्ट करेगी:

परन्तु ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटे पांच से अन्यून, जिले में की जिला परिषद् और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से, जिले में के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या के बीच के अनुपात के समानुपात में निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) निर्वाचित सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो विहित की जाये।

(4) नामनिर्दिष्ट सदस्यों में निम्नलिखित हो सकेंगे :-

(क) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति;

(ख) लोक सभा या राजस्थान विधान सभा के ऐसे सदस्य, जो किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें सम्पूर्ण जिला या उसका भाग समाविष्ट है;

(ग) राज्य सभा के ऐसे सदस्य, जो जिले में निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं; और

(घ) ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जो सरकार द्वारा आवश्यक समझे जायें ।

(5) समिति के -

(क) जिला आयोजन से सम्बन्धित ऐसे कृत्य होंगे, जो उसे सरकार द्वारा समनुद्दिष्ट किये जायें; और

(ख) ऐसी शक्तियां होंगी, जो उसे सरकार द्वारा प्रदत्त की जायें।

(6) ऐसी समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित जिला परिषद् का प्रमुख होगा ।

(7) प्रत्येक समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में-

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी -

(1) स्थानिक आयोजन, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक स्रोतों के अंश-बंटन, अधोसंरचना के एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण को सम्मिलित करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के बीच के सामान्य हित के विषय; और

(2) उपलब्ध स्रोतों का, चाहे वे वित्तीय हों या अन्य, विस्तार और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(8) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, सरकार को ऐसी समिति द्वारा यथाअभिशांसित विकास योजना अग्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द नगर पालिका का वह अर्थ होगा जो उसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पढ़ें) द्वारा समनुद्दिष्ट किया गया है।

122. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट - (1) प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र और ऐसी तारीख के पश्चात्, जो सरकार द्वारा नियम की जाये, सरपंच, विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् के समक्ष, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पंचायत, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् के प्रशासन की रिपोर्ट, ऐसे प्रारूप में और ऐसे ब्यौरों के साथ जो सरकार निर्दिष्ट करे, रखेगा और सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के संकल्प के साथ रिपोर्ट राज्य सरकार को आगे पारेषण किये जाने के लिए, विहित प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सरकार को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट, सम्बन्धित पंचायती राज संस्था की कार्य-प्रणाली का पुनर्विलोकन करते हुए राज्य सरकार द्वारा एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी ।

123. कठिनाइयों का निराकरण. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी, प्रवृत्त या कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगी या ऐसी बात कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

परन्तु ऐसे कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किये जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राजस्थान विधान सभा के सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

124. निरसन और व्यावृत्तियां - इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को, जिसे इस धारा में आगे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) निरसित हो जायेंगे और निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् -

(क) ऐसी, जंगम और स्थावर, सारी सम्पत्ति और उसमें के किसी भी प्रकार के सभी हित, जो प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था में निहित थे, प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त या विद्यमान सभी सीमाओं, शर्तों और किसी व्यक्ति, निकाय या प्राधिकरण के अधिकारों या हितों के अध्वधीन रहते हुए उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था को अन्तरित हुए समझे जायेंगे और उसमें निहित होंगे;

(ख) किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं (जिनमें वे सम्मिलित हैं, जो किसी करार या संविदा के अधीन उद्भूत हों) उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं समझी जायेंगी;

(ग) विद्यमान पंचायती राज संस्था के सभी कृत्य, चाहे वे यथापूर्वोक्त निरसित अधिनियमों के अधीन के हों या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन के, इस अधिनियम के अधीन की उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था को अन्तर्गत किये हुए समझे जायेंगे;

(घ) किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था को देय समस्त राशियां, चाहे वे किसी कर के मदे हों या अन्यथा, उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था द्वारा वसूलीय होंगी और ऐसी वसूली के प्रयोजनों के लिए उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था ऐसा कोई भी अध्वुपाय करने या ऐसी कोई भी कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए सक्षम होगी जिन्हें प्रारम्भ की तारीख के पूर्व करने या संस्थित करने के लिए कोई, विद्यमान पंचायती राज संस्था या उसका कोई भी प्राधिकारी स्वतंत्र होता;

(ड) विद्यमान पंचायती राज संस्थाओं की निधियों में अव्ययित रहा अतिशेष और ऐसी संस्थाओं को देय समस्त राशियां तथा किसी भी अन्य निकाय या निकायों की ऐसी राशियां, जो राज्य सरकार निदिष्ट करे, तत्स्थानी उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्थाओं की निधियों की भाग रूप होंगी और उनमें संदत्त की जायेंगी;

(च) किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था के साथ की गयी समस्त संविदा और उसके द्वारा या की ओर से निष्पादित समस्त लिखतें उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था के साथ की गयी या उसके द्वारा या की ओर से निष्पादित समझी जायेंगी, और उनका प्रभाव तदनुसार होगा;

(छ) निरसित अधिनियमों के अधीन प्रारम्भ की तारीख के पूर्व किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था या किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था के किसी भी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष संस्थित किये गये और लंबित हुए समझे जायेंगे जिसे उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था निदिष्ट करे;

(ज) प्रारम्भ की तारीख को लंबित ऐसे सभी वादों और विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें कोई विद्यमान पंचायती राज संस्था एक पक्षकार है, उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था उसके स्थान पर प्रतिस्थापित हुई समझी जायेगी;

(झ) निरसित अधिनियमों के अधीन किसी भी विद्यमान पंचायती राज संस्था या उसके स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में की गयी, जारी, अधिरोपित या मंजूर की गयी और प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस कर, फीस, आदेश, स्कीम, अनुज्ञप्ति, नियम, उप-विधि, विनियम या प्रारूप, वहां तक जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, तब तक ऐसे प्रवृत्त बना रहेगा मानो उसे इस अधिनियम के अधीन उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था के या उसके तत्स्थानी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में किया गया, जारी, अधिरोपित या मंजूर किया गया हो, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गयी, जारी, अधिरोपित या मंजूर की गयी किसी भी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, कर, फीस, आदेश, स्कीम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, नियम, उप-विधि, विनियम या प्रारूप द्वारा अतिष्ठित या उपान्तरित न कर दिया जाये;

(ञ) निरसित अधिनियमों के अधीन किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था के द्वारा या सम्बन्ध में किये गये या अधिप्रमाणित और प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त बजट प्राक्कलन, निर्धारण, निर्धारण सूचियां, मूल्यांकन या माप, वहां तक जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था द्वारा किये गये या अधिप्रमाणित किये गये समझे जायेंगे;

(ट) प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था के नियोजन में के समस्त अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था की सेवा में स्थानान्तरित हुए समझे जायेंगे; और

(ठ) किसी भी विधि में या किसी भी लिखित में, निरसित अधिनियम के किसी भी उपबंध या उनके अधीन गठित, निर्वाचित या नियुक्त किसी भी प्राधिकारी के प्रति कोई भी निर्देश तब तक जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न

हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के या, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन गठित, निर्वाचित या नियुक्त तत्स्थानी प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण. इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "विद्यमान पंचायती राज संस्था" से प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान कोई पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् या जिला परिषद् अभिप्रेत है और जहां ऐसी कोई भी पंचायती राज संस्था अतिष्ठित या विघटित कर दी गयी हो या उसकी अवधि समाप्त हो गयी हो वहां ऐसी पंचायती राज संस्था की शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों को पालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उसके अन्तर्गत आता है या आते हैं; और

(ख) "उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था" से ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन गठित कोई पंचायती, पंचायती समिति या जिला परिषद् अभिप्रेत है जो विद्यमान पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र का तत्स्थानी है।

{(2) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 23) के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 43 हट जायेगी और ऐसे हट जाने के परिणामस्वरूप उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ठ) तक में प्रगठित परिणाम इस प्रकार होंगे मानों उपयुक्त हट गयी धारा में निर्दिष्ट किसी ग्रामदान गाँव की ग्राम सभा कोई विद्यमान पंचायती राज संस्था हो।}

### प्रथम अनुसूची

(धारा 50 देखिए)

### पंचायतों के कृत्य और शक्तियां

#### 1. साधारण कृत्य :

- (i) पंचायत क्षेत्रों के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना;
- (ii) वार्षिक बजट तैयार करना;
- (iii) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना;
- (iv) लोक सम्पत्तियों पर के अधिक्रमण हटाना;
- (v) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदाय का संगठन;
- (vi) गांव (गांवों) की आवश्यक सांख्यिकी रखना।

## 2. प्रशासन के क्षेत्र में :

- (i) परिसरों का संख्यांकन;
- (ii) जनगणना करना;
- (iii) पंचायत समिति में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाये जाने के लिए कार्यक्रम बनाना;
- (iv) ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना;
- (v) ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोजन के लिए दी गयी सहायता पंचायत सर्किल में पहुंचे;
- (vi) सर्वेक्षण करना;
- (vii) पशु स्टैण्डों, खलिहानों, चरागाहों और सामुदायिक भूमियों पर नियंत्रण;
- (viii) ऐसे मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की, जिनका प्रबंध राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है, स्थापना, रख-रखाव और विनियमन,
- (ix) बेरोजगारी को सांख्यिकी तैयार करना;
- (x) ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हों;
- (xi) पंचायत अभिलेखों की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना;
- (xii) जन्मों, मृत्युओं और विवाहों का ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकथित किया जाये;
- (xiii) पंचायत सर्किल के भीतर के गांव के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना ।

## 3. कृषि विस्तार सहित कृषि:

- (i) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास;
- (ii) बंजर भूमियों का विकास;
- (iii) चरागाहों का विकास और रख-रखाव और उनके अप्राधिकृत अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना

## 4. पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन:

- (i) पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास;
- (ii) डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति;
- (iii) चरागाह विकास ।

5. मत्स्य पालन :

गांव (गांवों) में मत्स्य पालन का विकास ।

6. सामाजिक और फर्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन और चारा :

(i), गांव और जिला सड़कों के पार्श्वों पर और उनके नियंत्रण के अधीन की अन्य लोक-भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण;

(ii) ईंधन रोपण और चारा विकास;

(iii) फार्म वानिकी की प्रोन्नति;

(iv) सामाजिक वानिकी और कृषिक पौधशालाओं का विकास।

7 लघु सिंचाई :

50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण और रख-रखाव।

8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :

(i) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमीनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।

9. ग्रामीण आवासन :

(i) अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवंटन;

(ii) आवासों, स्थलों और अन्य प्राइवेट तथा लोक सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख रखना ।

10. पेयजल :

(i) पेयजल कुओं, जलाशयों और तालाबों का संनिर्माण, मरम्मत और रख-रखाव;

(ii) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण;

(iii) हैण्ड पम्पों का रखरखाव और पम्प और जलाशय स्कीमें।

11. सड़कें, भवन, पुलियाएं, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन :

(i) ग्राम सड़कों, नालियां और पुलियाओं का संनिर्माण और रख-रखाव;

(ii) अपने नियंत्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अन्तरित भवनों का रख-रखाव;

(iii) नावों, नौघाटों और जल मार्गों का रखरखाव ।

12. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख-रखाव सम्मिलित है।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत :

- (i) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्कीमों की प्रोन्नति और रख रखाव,
- (ii) सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमें गोबर गैस संयंत्र सम्मिलित है, रख-रखाव;
- (iii) विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार ।

#### 14. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

- (i) अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी जन चेतना को और उसमें भागीदारी को प्रोन्नत करना;
- (ii) ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन;
- (iii) पूर्वोक्त सभी प्रभावी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में भाग लेना ।

#### 15. शिक्षा (प्राथमिक) :

- (i) समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए चेतना प्रोन्नत करना और ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेना;
- (ii) प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध में लड़कों का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

#### 16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण।

#### 17. पुस्तकालय :

ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय ।

#### 18. सांस्कृतिक क्रियाकलाप रू

सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्नत करना ।

#### 19. बाजार और मेले रू

मेलों ,पशु मेलों सहितद्ध और उत्सवों का विनियमन ।

#### 20. ग्रामीण स्वच्छता रू

(i) सामान्य स्वच्छता रखनाय

(ii) लोक सड़कों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थानों की सफाईय

(iii) शमशान और कब्रस्तान भूमियों का रख.रखाव और विनियमन

(iv) ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पाकों और स्नान स्थलों और सोकपिटों इत्यादि का सन्निर्माण और रख.रखाव

(v) अदावाकृत शवों और जीव.जन्तु शवों का निपटाराय

(vi) धोने और स्नान के घाटों का प्रबन्ध और नियंत्रण।

#### 21. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रू

- (i) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
- (ii) महामारी की रोक और उपचार के उपाय
- (iii) मांसए मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन
- (iv) मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना रू
- (v) खाने और मनोरंजन के स्थापनों का अनुज्ञापन
- (vi) आवारा कुत्तों का नाशन
- (vii) खालों और चमड़ों के संस्करण चर्मशोधन और रंगाई विनियमन
- (viii) आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनियमन ।

## 22. महिला और बाल विकास रू

- (i) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना
- (ii) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना
- (iii) आंगनबाडी केन्द्रों का पर्यवेक्षण ।

## 23. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण:

- (i) विकलांगों मंदबुद्धि वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना
- (ii) वृद्ध और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना ।

## 24. कमजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण रू

- (i) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना
- (ii) कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना।

## 25. लोक वितरण व्यवस्था रू

- (i) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना

- (ii) लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण ।
- 26. सामुदायिक आस्तियों का रख.रखाव रू
- (i) सामुदायिक आस्तियों का रख.रखाव य
- (ii) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख.रखाव ।
- 27. ण्धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निर्माण और रख.रखाव ।
- 28. पशुशेडोंए पोखरों और गाडी स्टेंडों का सन्निर्माण और रख.रखाव ।
- 29. बूचडखानों का सन्निर्माण और रख.रखाव ।
- 30. लोक उद्यानोंए खेल के मैदानों इत्यादि का रख.रखाव ।
- 31. लोक स्थानों में खाद के गड्डों का विनियमन ।
- 32. शराब की दुकानों का विनियमन ।
- 33. पंचायत की सामान्य शक्तियाँ रू

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपेए समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना औरए विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाए इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना ।

### द्वितीय अनुसूची

(धारा 51 देखिए)

#### पंचायत समितियों के कृत्य और शक्तियां

1. साधारण कृत्य रू
  - (i) अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परिषद् द्वारा समनुदेशित स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें जिला परिषद् को प्रस्तुत करनाय
  - (ii) पंचायत समिति क्षेत्र में की सभी पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समेकित करना और जिला परिषद् को समेकित योजना प्रस्तुत करनाय
  - (iii) पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करनाय
  - (iv) ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायेंय
  - (v) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करानाय
2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि रू
  - (i) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करनाय
  - (ii) बागवानी पौधशालाओं का रख.रखाव य

- (iii) रजिस्ट्रीकृत बीज उगाने वालों को बीजों के वितरण में सहायता करनाय
- (iv) खादों और उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करनाय
- (v) खेती के समुन्नत तरीकों का प्रचार करनाय
- (vi) पौध संरक्षणए राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलों का विकास करनाय
- (vii) सब्जियोंए फलों और फूलों की खेती को प्रोन्नत करनाय
- (viii) कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करनाय
- (ix) कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप।

### 3. भूमि सुधार और मृदा संरक्षण:

सरकार के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना ।

### 4. लघु सिंचाईए जल.प्रबंध और जल.विभाजक विकास:

- (i) लघु सिंचाई कार्योंए एनिकटोंए लिफ्ट सिंचाईए सिंचाई कुओंए बंधोंए कच्चे बंधों का निर्माण और रख.रखावय
- (ii) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।

### 5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रू

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और स्कीमोंए विशेषतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमए ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षणए मरु विकास कार्यक्रमए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रमए जनजाति क्षेत्र विकासए परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमनए अनुसूचित जाति विकास निगम स्कीमों आदि के आयोजन और कार्यान्वयन ।

### 6. पशुपालनए डेरी और कुक्कुट पालन:

- (i) पशु चिकित्सा और पशु पालन सेवाओं का निरीक्षण और रख.रखावय
- (ii) पशुए कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल का सुधार करनाय
- (iii) डेरी उद्योगए कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नतिय
- (iv) महामारी और सांसर्गिक बीमारियों की रोकथामय
- (v) समुन्नत चारे और दान का पुरःस्थापन ।

### 7. मत्स्य पालन:

मत्स्य पालन विकास को प्रोन्नत करना ।

### 8. खादीए ग्राम और कुटीर उद्योग:

- (i) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करनाय
- (ii) सम्मेलनोंए गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमोंए कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजनय
- (iii) मास्टर शिल्पी सेए और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं मेंए बेरोजगार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षणय

(iv) बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना।

#### 9. ग्रामीण आवासन:

आवासन स्कीमों का कार्यान्वयन और आवास उधार किस्तों की वसूली।

#### 10. प्ण्येयजल:

(i) हैंड पम्पों और पंचायतों की पम्प और जलाशय स्कीमों को मोनीटर करनाए उनकी मरम्मत और रख.रखावय

(ii) ग्रामीण जल प्रदाय स्कीमों का रख.रखावय

(iii) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रणय

(iv) ग्रामीण स्वच्छता स्कीमों का कार्यान्वयन ।

#### 11. सामाजिक और फार्म वानिकीए ईंधन और चारा:

(i) अपने नियंत्रण के अधीन की सड़कों के पार्श्वी और अन्य लोक भूमियों परए विशेषतः चरागाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षणय

(ii) ईंधन रोपण और चारा विकासय

(iii) फार्म वानिकी की प्रोन्नतिय

(iv) बंजर भूमि विकास।

#### 12. सड़केंए भवनए पुलियाएंए पुलए नौघाटए जलमार्ग और अन्य संचार साधन:

(i) ऐसी लोक सड़कोंए नालियोंए पुलियाओं और अन्य संचार साधनों काए जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं हैंए निर्माण और रख रखावय

(ii) पंचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पति का रख.रखावय

(iii) नावोंए नौघाटों और जलमार्गों का रख.रखाव।

#### 13. गैर.परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत:

गैर.परम्परागत ऊर्जा स्रोतों विशेषतः सौर प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियों की प्रोन्नति और रख.रखाव।

#### 14. प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा:

(i) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा, विशेषतः बालिका शिक्षा, का संचालन;

(ii) प्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव;

(iii) युवा क्लबों और महिला मण्डलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति;

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्तियों, पौशाकों और अन्य प्रोत्साहनों का वितरण ।

#### 15. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :

ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति।

16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा:

- (i) सूचना, सामुदायिक मनोरंजन केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना;
- (ii) प्रौढ़ साक्षरता का क्रियान्वयन ।

17. सांस्कृतिक क्रियाकलाप:

सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनों, प्रकाशनों की प्रवृत्ति

18. बाजार और मेले:

पशु मेलों सहित मेलों और उत्सवों का विनियमन।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण:

- (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ;
- (ii) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मानीटर करना;
- (iii) मेलों और उत्सवों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता;
- (iv) औषधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि निरीक्षण और नियंत्रण।

20. महिला और बाल विकास :

- (i) महिला और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;
- (ii) एकीकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य पोषाहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ;
- (iii) महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना;
- (iv) आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूह बनाना और सामग्री के उत्पादन तथा विपणन में सहायता करना।

21. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :

- (i) विकलांगों, मंदबुद्धि वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम ;
- (ii) वृद्ध और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मंजूर करना ।

22. कमजोर वर्गों और विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण :

- (i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रवृत्ति;
- (ii) ऐसी जातियों और वर्गों की सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षा करना ।

23. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव:

- (i) अपने में निहित या सरकार द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन द्वारा अन्तर्गत सभी सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव ;
- (ii) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख-रखाव ।

24.सांख्यिकी :

ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण और संकलन जो पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पायी जाये।

25. आपात सहायता :

अग्नि, बाढ़, महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले में।

26.सहकारिता :

सहकारी गतिविधियों को, सहकारी सोसाइटियों की स्थापना और सुदृढीकरण में सहायता करके प्रोन्नत करना ।

27.पुस्तकालय :

पुस्तकालयों की प्रोन्नति ।

28.पंचायतों का उनके सभी क्रियाकलापों और गांव और पंचायत योजनाओं के निर्माण में पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन ।

29. प्रकीर्ण :

(i) अल्प बचतों और बीमा के माध्यम से मितव्ययिता को प्रोत्साहित करना;

(ii) पशु बीमा सहित दुर्घटना, अग्नि, मृत्यु आदि के मामलों में सामाजिक बीमा दावे तैयार करने और उनके संदाय में सहायता करना ।

30. पंचायत समितियों की साधारण शक्तियां :

इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये, समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का करना।

तृतीय अनुसूची

(धारा 52 देखिए)

जिला परिषदों के कृत्य और शक्तियाँ

1. साधारण कृत्य:

जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं करना और ऐसी योजनाओं का, अगली मर्दों में प्रगणित विषयों सहित विभिन्न विषयों के संबंध में समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2. कृषि:

(i) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के और समुन्नत कृषि उपकरणों उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियों के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के, उपायों को प्रोन्नत करना;

(ii) कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का संचालन करना;

(iii) कृषकों का प्रशिक्षण;

(iv) भूमि सुधार और भूमि संरक्षण।

3. लघु सिंचाई, भू-जल स्त्रोत और जल-विभाजक विकास:

(i) "ग" और "घ" वर्ग के 2500 एकड़ तक के लघु सिंचाई संकर्मों और लिफ्ट सिंचाई संकर्मों का सन्निर्माण, नवीकरण और रख-रखाव;

(ii) जिला परिषद के नियंत्रणाधीन सिंचाई योजनाओं के अधीन जल के समय पर और साम्यापूर्ण वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वसूली के लिए उपबंध करना;

(iii) भू-जल स्रोतों का विकास;

(iv) सामुदायिक पम्प सैट लगाना;

(v) जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

4. बागवानी:

(i) ग्रामीण पार्क और उद्यान;

(ii) फलों और सब्जियों की खेती ।

5. सांख्यिकी:

(i) पंचायत समितियों और जिला परिषदों के क्रियाकलापों से संबंधित सांख्यिकीय और सूचना का प्रकाशन;

(ii) पंचायत समितियों और जिला परिषदों के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित आंकड़ों और अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग;

(iii) पंचायत समितियों और जिला परिषद को सौंपी गयी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का सावधिक पर्यवेक्षण और मूल्यांकन ।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण:

(i) ग्रामीण विद्युतीकरण की पूर्विक्ता को मोनीटर करना;

(ii) कनेक्शन, विशेष रूप से विद्युत् कनेक्शन, कुटीर ज्योति और अन्य कनेक्शन ।

7. मृदा संरक्षण :

(i) मृदा संरक्षण कार्य;

(ii) मृदा विकास कार्य ।

8. सामाजिक वानिकी :

(i) सामाजिक और फार्म वानिकी, बागान और चारा विकास को प्रोन्नव करना;

- (ii) बंजर भूमि का विकास;
- (iii) वृक्षारोपण के लिए आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषिक पौधशालाओं को प्रोत्साहन;
- (iv) वन भूमियों को छोड़कर, वृक्षों का रोपण और रखरखाव;
- (v) राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर सड़क के किनारे-किनारे वृक्षारोपण।

#### 9. पशुपालन और डेयरी :

- (i) जिला और रेफरल अस्पतालों को छोड़कर, पशु चिकित्सालयों की स्थापना और रख-रखाव;
- (ii) चारा विकास कार्यक्रम ;
- (iii) डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन को प्रोत्त करना;
- (iv) महामारी और सांसर्गिक रोगों की रोकथाम ।

#### 10. मत्स्य पालन :

- (i) मत्स्य पालन विकास एजेंसी के समस्त कार्यक्रम;
- (ii) प्राइवेट और सामुदायिक जलाशयों में मत्स्य संवर्धन का विकास;
- (iii) पारम्परिक मत्स्यापन में सहायता करना;
- (iv) मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना;
- (v) मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण स्कीमें।

#### 11. घरेलू और कुटीर उद्योग :

- (i) परिक्षेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घरेलू उद्योगों का विकास करना;
- (ii) कच्चे माल की आवश्यकताओं का इस प्रकार से निर्धारण करना कि जिससे समय पर उसका प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके;
- (iii) परिवर्तनशील उपभोक्ता मांग के अनुसार डिजाइन और उत्पादन;
- (iv) कारीगरों और शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- (v) उप-मद (iv) के अधीन के कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण दिलवाने हेतु सम्पर्क करना;
- (vi) खादी, हाथकर्घा, हस्तकला और ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्त करना ।

#### 12. ग्रामीण सड़कें और भवन :

- (i) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न सड़कों का निर्माण और रख-रखाव;
- (ii) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न मार्गों के नीचे आने वाले पुल और पुलियाएँ;
- (iii) जिला परिषद् के कार्यालय भवनों का निर्माण और रख-रखाव;

(iv) बाजार, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य संपर्क सड़कों और आन्तरिक क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों की पहचान;

(v) नयी सड़कों के लिए और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमियों का स्वैच्छिक अभ्यर्ण करना।

### 13.स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकी:

(i) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषद्यालयों, उप-केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव;

(ii) आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी औषद्यालयों की स्थापना और रख-रखाव;

(iii) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन;

(iv) स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलाप;

(v) मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप;

(vi) परिवार कल्याण कार्यक्रम;

(vii) पंचायत समितियों और पंचायतों की सहायता से षिविरो का आयोजन करना;

(viii) पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय।

### 14. ग्रामीण आवासन :

(i) बेघर परिवारों की पहचान,

(ii) जिले के आवास-निर्माण का क्रियान्वयन;

(iii) कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना ।

### 15. शिक्षा :

(i) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रख-रखाव सहित शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोन्नत करना;

(ii) प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना;

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कार्य;

(iv) शैक्षणिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।

### 16. समाज कल्याण और कमजोर वर्गों का कल्याण :

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, बोर्डिंग अनुदान और पुस्तकें और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार;

(ii) निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिए नर्सरी विद्यालयों, बाल बाड़ियों, रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का संगठन करना

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए आदर्श कल्याण केन्द्रों और शिल्प केन्द्रों का संचालन:

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विपणन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

- (v) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की सहकारी सोसाइटियों का गठन करना;
- (vi) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी स्कीमें ।

17. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मोनीटर करना और क्रियान्वयन करना ।

18. समाज सुधार क्रियाकलाप :

- (i) महिला संगठन और कल्याण;
- (ii) बाल संगठन और कल्याण;
- (iii) स्थानीय आवारागर्दी का निवारण;
- (iv) विधवा, वृद्ध और शारीरिक रूप से निःशक्त निराश्रितों के लिए पेंशनों की और बेरोजगारों और अन्तरजातीय विवाह के युगलों, जिनमें से एक किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, के लिए भत्तों की मंजूरी और वितरण को मोनीटर करना;
- (v) अग्नि नियंत्रण;
- (vi) अन्धविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, खर्चीले विवाह और सामाजिक समारोहों, दहेज तथा दिखावटी उपभोग के विरुद्ध अभियान;
- (vii) सामुदायिक विवाह और अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहि करना;
- (viii) आर्थिक अपराधों, जैसे तस्करी, कर-वंचन, खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध सतर्कता;
- (ix) भूमिहीन श्रमिकों को सौंपी गयी भूमि का विकास करने सहायता;
- (x) जनजातियों द्वारा अन्य संक्रमित भूमियों का पुनर्ग्रहण;
- (xi) बन्धुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें मुक्त कराना और उसका पुनर्वास ;
- (xii) सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलापों का आयोजन करना;
- (xiii) खेल-कूद और खेलों को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण;
- (xiv) पारम्परिक उत्सवों को नया रूप देना और उन्हें समाज-प्रिय बनाना;
- (xv) निम्नलिखित के माध्यम से मितव्ययिता और बचत की प्रोन्नति करना -
- (क) बचत की आदतों की प्रोन्नति,
- (ख) अल्प बचत अभियान,
- (ग) कूट साहूकारी प्रथाओं और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरुद्ध लड़ाई ।

19. जिला परिषदों की साधारण शक्तियाँ :

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन विनिर्दिष्ट समस्त शक्तियों का, और विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करना-

- (i) लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन की किसी संस्था का प्रबंध और रख-रखाव;
- (ii) ग्रामीण हाटों और बाजारों का अर्जन और रखरखाव
- (iii) पंचायत समितियों या पंचायतों को तदर्थ अनुदानों का वितरण करना और उनके कार्य का समन्वय करना;
- (iv) कष्ट निवारण के उपायों को अंगीकार करना;
- (v) जिले में पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं और स्कीमों को समन्वित और एकीकृत करना;
- (vi) जिले में पंचायत समितियों के बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और उन्हें मंजूर करना;
- (vii) एकाधिक खण्डों में विस्तृत किसी स्कीम को हाथ में लेना और निष्पादित करना;
- (viii) जिले में पंचों, सरपंचों, प्रधानों और पंचायत समितियों के सदस्यों के शिविरों, सेमीनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना;
- (ix) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा करना;
- (x) किन्हीं विकास स्कीमों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो लगे हुए दो या अधिक जिलों की जिला परिषदों के बीच में परस्पर तय पायी जायें, संयुक्त रूप से हाथ में लेना और निष्पादित करना ।